

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

1	GOL-47	लखमेशिंह / घीसाजी / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि अर्वाड गणना क्र. 5 पर मुआवजा राशि 2692रू0 का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुर्नवास अनुदान गणना क्र.5 पर 3976 रू0 का भुगतान किया गया।	—	आवेदक का ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदन प्रस्ताव विभाग से संबंधित है।	
2	GOL-11	लालसिंग / दशरथ— गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से निजी अर्वाड गणना क्र.24 पर 5281रू0 का भुगतान किया गया है। एवं अपर संचालक (पुन.) आरएण्डआर, एनएचडीसी द्वारा मान्य पुर्नवास अनुदान गणना क्र.1 पर राशि 87219 का भुगतान किया गया।	—	आवेदक का ग्राम मे मकान का अर्जन किया जा चुका है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	
3	GOL-5	ताराचंद / रामलाल सोनी / गोलसैलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि अर्वाड अनुदान क्र.57 पर मुआवजा राशि 498607रू0 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

4	GOL-35/	दीपक / प्यारेलाल / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत्।	-	-	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान एवं कृषि भूमि का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन पत्र प्रस्ताव विभाग से संबंधित है।	
5	GOL-119	ताराचंद / रामलाल / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के पिता के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्र.57 पर राशि 498607 का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
6	GOL-50	सेवकराम / गुलाबचंद / गोलसेलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से आबादी गणना क्र.17 पर मकान की राशि 45034रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुर्नवास अनुदान गणना क्र.16 पर राशि 9350रु० का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक का ग्राम मे मकान का अर्जन किया जा चुका है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	
7	GOL-133	मांगीलाल / सुखराम / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्र.56 पर 324709रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुर्नवास गणना क्र. 56 पर 2870रु० का भुगतान किया गया है	-	आवेदक का ग्राम मे मकान का अर्जन नही किया है अतः आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

8	GOL-17	रामलाल / झापू / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत।	—	—	ग्राम में आवेदक के नाम से मकान एवं भूमि का अर्जन नहीं हुआ है तथा आवेदन प्रस्ताव विभाग से संबंधित है।	—
9	GOL-22	रूपसिंह / गोविंदसिंह—गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक का नाम संयुक्त खाते में कृषि अवार्ड गणना एफआरएल क्र.20 पर 145120रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुर्नवास अनुदान गणना क्र20 पर 56461रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम में मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
10	GOL-101	जितेन्द्रसिंह / भोलूसिंह / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	—	—	आवेदक के नाम से ग्राम में कृषि भूमि एवं मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
11	GOL-137	नैनसिंग / देवेसिंह—गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्र.23 पर राशि 515990 का भुगतान किया गया है। तथा विशेष पुर्नवास गणना क्र. 23 पर 21724 किया गया है।	—	आवेदक के नाम से मकान का अर्जन नहीं हुआ है तथा आवेदक का नाम परिवार सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

12	GOL-33	नैनासिंह / धन्नालाल-गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना एफआरएल क्र. 95 पर 45941रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुर्नवास अनुदान गणना क्र.45 पर 89224रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
13	SKT-214	बसंती / गंगाराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27395 आदेश दिनांक 15.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
14	SKT-213-1	रेवाराम / गंगाराम / सक्तापुर	मेरे मकान को अवार्ड में शामिल कर मुआवजा प्रदान करने बाबत	पिता के नाम मकान का मुआवजा 6485 रु० दिया गया है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27418 आदेश दिनांक 11.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
15	GOL-178/1	अशोक / मोतीराम / गोलसेलानी	पूर्ण मकान का मुआवजा बाबत	आवेदक के पिता मोतीराम को मकान के भुअर्जन की 465003 राशि प्रदान की गई। पुर्नवास अनुदान गणना क्रमांक 70 पर आवेदक 9350 राशि का भुगतान किया गया है।	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही की गई।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

16	GOL-179/1	मुकेश / मोतीराम / गोल सेलानी	मकान का मुआवजा बाबत	आवेदक के पिता मोतीराम को मकान के भूअर्जन की 465003 राशि प्रदान की गई। पुर्नवास अनुदान गणना क्रमांक 70 पर आवेदक 9350 राशि का भुगतान किया गया है।	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में सरल क्रमांक 28 एवं मकान नंबर 42 पर नाती के रूप में दर्ज होने से मुआवजा एवं अनुदान की पात्रता नहीं आती।	—
17	GOL-18	रेवाराम / धन्नालाल—गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना एफआरएल क्र. 107 पर 83980रू० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम में मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	—
18	GOL-180/1	चंदु / जयसिंग / गोलसेलानी	मकान का सर्वे पुनः किये जाने बाबत	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	—
19	GOL-182/1	पूनाजी / ओंकार / गोलसेलानी	मकान का सर्वे	—	—	एनवीडीए क्र० 32 से प्रस्ताव प्राप्त ना होने के कारण भूअर्जन नहीं किया गया।	—
20	GOL-217	रामलाल / झापू / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत।	—	—	आवेदक का ग्राम में मकान का अर्जन नहीं हुआ है तथा प्रकरण कार्यपालनयंत्रि बड़वाह 32 से संबंधित है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनुर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

21	GOL-36	श्रवण / हीरा / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत्।	-	-	आवेदक के नाम से ग्राम मे कृषि भूमि एवं मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्ताव विभाग से संबंधित है।	
22	GOL-159	मला / कालू / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत्।	-	-	आवेदक के नाम से ग्राम मे कृषि भूमि एवं मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
23	GOL-166	रामचंद्र / प्यारा / गोलसैलानी	मेरे घर और दुकान का भूअर्जन करने बाबत्।	-	-	आवेदक के नाम से ग्राम मे कृषि भूमि एवं मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	-
24	GOL-8	गंगाराम / लक्ष्मणसिंह / गोलसेलानी	नदी किनारे मोटर घर का मुआवजा देने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि अवाई गणना क्र62 पर मुआवजा राशि 64490 का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक का नदी किनारे मोटर घर का प्रस्ताव मे घर का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

25	GOL-7	मुकेश / रामलाल / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड अनुदान क्र.57 पर मुआवजा राशि 498607रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
26	GOL-161	कोलू / मलाजी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से आबादी गणना क्र. 38 पर राशि 76824रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुर्नवास अनुदान गणना क्र24 पर 68000रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का ग्राम मे मकान का अर्जन किया जा चुका है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	—
27	GOL-16	विक्रम / इट्टल / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत्।	—	—	ग्राम मे आवेदक का कृषि भूमि एवं मकान का अर्जन नही हुआ है तथा आवेदक प्रस्ताव विभाग से संबंधित है।	—
28	GOL-135	दंदुसिंह / अनूपसिंह / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्र.31 पर 193523रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुर्नवास गणना क्र. 31 पर 45793रु० का भुगतान किया गया है	—	आवेदक का ग्राम मे मकान का अर्जन नही किया है अतः आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

29	GOL-6	राधेश्याम / रामलाल सोनी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड अनुदान क्र.57 पर मुआवजा राशि 498607रु० का भुगतान किया गया है।		आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
30	GOL-136	रेशमबाई / देवेशिंह- गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्र.23 पर 515990रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुर्नवास गणना क्र. 23 पर 217114रु० का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक का ग्राम मे मकान का अर्जन नही किया है अतः आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
31	GOL-156	सरदारसिंह / किशोरसिंह-गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्र. 38 पर राशि 106365रु० का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	-
32	GOL-146	भैरूलाल / रामरतन / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत्।	-	-	ग्राम मे आवेदक के नाम से मकान एवं कृषि भुमि का अर्जन नही हुआ है आवेदक प्रस्ताव विभाग से संबंधित है।	-

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

33	GOL-140	उम्मेदसिंह / किशोरसिंह—गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना एफआरएल क्र. 24 पर 85545रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुर्नवास गणना क्र. 24 पर 11911रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
34	GOL-155	दयाराम / केशरा / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि गणना क्र. 28 पर मुआवजा राशि 102506रु० का भुगतान किया गया ठें आवेदक को विशेष पुर्नवास अनुदान की गणना क्र. 28 पर राशि 3208रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से मकान का अर्जन नही हुआ है तथा आवेदन प्रस्ताव विभाग से संबंधित है।	
35	GOL-152	दंदु / मांगीलाल—गोलसैलानी / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के संयुक्त नाम से आबादी अवार्ड गणना क्र.42 पर मकान का मुआवजा _____ भुगतान किया गया है।	—	आवेदक द्वारा घर का अर्जन संबंधी आवेदन दिया है। आवेदक को मकान एवं पुर्नवास अनुदान का भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त होगा।	—
36	GOL-150/	देवेसिंह / नत्थुसिंह / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत।	—	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे कृषि एवं मकान का अर्जन नही हुआ है तथा आवेदक का आवेदन प्रस्ताव विभाग से संबंधित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)

37	GOL-143	लखमेशिंह / घीसाजी / गोलसैलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्रमांक 5 पर मुआवजा राशि 2692रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के मकान का प्रस्ताव विभाग से प्राप्त नहीं हुआ।	—
----	---------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------	---

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 2 सम्पत्ति आंशिक छूटी पाईप इत्यादि (पूरक अनुदान हेतु)

1	SKT-393	समोताबाई / चामटा / सक्तापुर	खेत के कुएं का मुआवजा एवं अनुदान राशि	शामिल खाते में कृषि भूमि व मकान का मुआवजा 57050 रू० एवं वि०पु०अ० 138876 रू० भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र पर कुंआ स्थित नहीं होने से कुएं का मुआवजा नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
2	KRL-67	रमेश / मदनसिंह / करोली	कुएँ का मुआवजा बाबत	अवार्ड गणना खाता क्र. 3 पर कृषि भूमि का मुआवजा 5096 दिया गया	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. क्र. -32 बड़वाह के भूअर्जन प्रस्ताव में कुंवा शामिल न होने से मुआवजा की पात्रता नहीं आती है। आवेदन निरस्ती योग्य	
3	GOL-46-1	दीपक / प्यारेलाल / गोल सैलानी	दुकान का मुआवजा बाबत	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. क्र. -32 बड़वाह के भूअर्जन प्रस्ताव में दुकान शामिल न होने से मुआवजा की पात्रता नहीं आती है। आवेदन निरस्ती योग्य	
4	KRL-66	अनारबाई / मदनसिंह / करोली	कुएँ का मुआवजा बाबत	—	—	आवेदिका की कृषि भूमि व मकान का कोई अर्जन नहीं हुआ है।	
5	SKT-43-1	कमलसिंह / तेजसिंह / सक्तापुर	जमीन डूब में आने के बाद शेष बचे घर को अधिग्रहित करने बाबत	आवेदक को ग्राम घोघलगांव में अवार्ड क्र० 30 पर कृषि भूमि का मुआवजा 299583 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक की डूब की जमीन में कोई मकान अधिग्रहण से शेष नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 2 सम्पत्ति आंशिक छूटी पाईप इत्यादि (पूरक अनुदान हेतु)

6	SKT-235	रामसिंह / पंचम / सक्तापुर	छूटी हुई परिसम्पत्ति का मुआवजा मिलने बाबत	अवार्ड ग.क्र. 2 संशोधित एफआरएल पर मुआवजा 13412 रु० दिया गया।	—	कुंआ मौके पर नहीं पाए जाने से।	
7	SKT-90-1	रतन / किशन / सक्तापुर	घर का भूअर्जन करने बाबत	जी०आर०ए० के आदेश क्र० 28680 दिनांक 18.03.09 के पालन में 43700 रु० पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया। आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 15 पर कृषि भूमि व उस पर स्थित मकान का मुआवजा 71784 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक की डूब की जमीन में स्थित मकान का अधिग्रहण किया गया है।	
8	SKT-74	प्रतापसिंह / सागरसिंह / सक्तापुर	जमीन डूब में आने के बाद शेष बचे घर को अधिग्रहित करने बाबत	आवेदक को ग्राम घोघलगांव में अवार्ड क्र० 98 पर कृषि भूमि का मुआवजा 330844 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक की डूब की जमीन में कोई मकान अधिग्रहण से शेष नहीं है।	
9	KRL-65	कैलाशसिंह / मदनसिंह / करोली	कुएँ का मुआवजा बाबत	अवार्ड गणना खाता क्र. 5 पर कृषि भूमि का मुआवजा 16131 दिया गया	—	कार्यपालन यंत्रि न.वि.सं. क्र. -32 बड़वाह के भूअर्जन प्रस्ताव में कुंवा शामिल न होने से मुआवजा की पात्रता नहीं आती है। आवेदन निरस्ती योग्य	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

1	GOL-673	पप्पू / धनजी -गोलसैलानी / गोलसैलानी	मुआवजा कम मिलने बाबत्।	आवेदक के पिता धनजी पिता गोपाल के नाम से कृषि अवार्ड गणना नंबर 76 पर अवार्ड राशि रु. 29545/- एवं विशेष पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 76 पर राशि रु. 72015/- का भुगतान किया गया है।	---	आवेदक को समुचित एवं नियमानुसार भुगतान किया गया है। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
2	GOL-171	भूरा / नाथू / गोल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के नाम से आबादी गणना क्रमांक 23 पर मकान की मुआवजा राशि 5722रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को अतिरिक्त संचालक पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक 5 पर राशि 76850रु० का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	-

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

3	GOL-169	नेमीचंद / प्रेमलाल / गोल सेलानी	अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई एवं पक्का मकान सर्वे में नहीं लिया गया है।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्रमांक 10 पर मकान की राशि 16893रू0 का भुगतान किया गया है। आवेदक को अतिरिक्त संचालक द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक 23 पर राशि 34350रू0 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को पुनर्वास अनुदान की राशि का भुगतान किया गया है तथा आवेदन निरस्त योग्य है।	—
4	GOL-167	तुलसाबाई / सखाराम / गोलसैलानी	संसोधित मुआवजा मिलने बाबत।	—	—	आवेदिका के नाम से ग्राम में कृषि भूमि एवं मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदिका ग्राम हरवंशपुरा के निवासी होने से मुआवजे एवं अनुदान की पात्रता नहीं होगी।	—
5	GOL-168	अनारसिंह / मांगीलाल / गोल सेलानी	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्रमांक 101 पर राशि 7013रू0 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक ग्राम हरवंशपुरा का निवासी होने से ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

6	RIC-1127	कैलाश / कचरिया / रिछफल	मकान की राशि बढ़ाने एवं पुनर्वास अनुदान हेतु	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल. अवार्ड क्र० 30 पर मकान का मुआवजा राशि 19459 रु० भुगतान की गई। पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान राशि 43700 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया है। आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	
7	RIC-931	समोताबाई / कालु / रिछफल	मकान की मुआवजा राशि बढ़ाकर देने बाबत	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल. अवार्ड क्र० 32 पर मकान का मुआवजा राशि 7621 रु० भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान राशि गणना क्र० 12 पर 93000 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है।	
8	GOL-173	रमेश / टीकाराम / गोल सैलानी	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि अवार्ड गणना क्रमांक 108 पर राशि 79395 रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक 108 पर राशि 161681 रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से मकान का अर्जन नहीं किया गया इसलिये आवेदक को अनुदान की पात्रता नहीं है।	—
9	GOL-12	राधेश्याम / शेरसिंह / गोलसैलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्रमांक 65 पर मुआवजा राशि 21909 रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के मकान का अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

10	GOL-186	बसंत / रामलाल / गोल सैलानी	उचित मुआवजा मिलने बाबत्	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्रमांक 37 पर कृषि का मुआवजा 46488रु० का भुगतान किया गया है।		आवेदक को अतिरिक्त संचालक द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक 24 पर राशि 43700 का भुगतान किया गया तथा आवेदक को नियमानुसार उचित मुआवजा दिया गया।	
11	GOL-170	धनसिंह / नाथू / गोल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के नाम से आबादी गणना क्रमांक 21 पर मकान की राशि 6740रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को अतिरिक्त संचालक पुनर्वास अनुदान गणना क्र.7 पर राशि 76850रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	—
12	GOL-172	कमल / रेवाराम / गोल सैलानी	मकान का मुआवजा मिलने बाबत्	आवेदक के नाम से आबादी गणना क्रमांक 41 पर मकान की राशि 38905रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक 26 पर राशि 42500रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को मकान का मुआवजा नियमानुसार भुगतान किया गया है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

13	GOL-175	कमलचंद / रेवाराम / गोल सैलानी	पुर्नवास अनुदान की नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक के नाम से आबादी गणना क्रमांक 41 पर मकान की राशि 38905रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुर्नवास अनुदान गणना क्रमांक 26 पर राशि 42500रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक पुर्नवास स्थल ग्राम गोयड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ पर आवेदन कर सकता है।	—
14	SKT-228	रमेश / मंगलसिंह / सक्तापुर	जमीन का मुआवजा बड़ाकर देने बाबत	पिता को क्र० 11 पर मुआवजा 159662 रु० एवं वि०पु०अ० राशि 101179 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक को उचित मुआवजा दिया गया है।	—
15	GOL-176	लक्ष्मीबाई / संपत / गोल सैलानी	वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	आवेदिका के नाम से आबादी गणना क्रमांक 33 पर मकान की राशि 11754रु० का भुगतान किया गया है। आवेदिका के नाम से पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक 44 पर राशि 68000रु० का भुगतान किया गया।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	—
16	GOL-181/	अशोक / मोतीराम / गोल सैलानी	प्लॉट बाबत	आवेदक के पिता को मकान का 462003 मुआवजा राशि भुगतान की गई।	—	पुर्नवास स्थलो के रिक्त भुखंड आवंटित किये जा सकते हैं। ग्राम गोयड़ा एवं इंधावड़ी एवं बीड़ पर आवेदन कर सकता है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

17	GOL-163	शांताबाई / पोलू ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदिका के नाम से संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया है। आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं है।	-----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु का विशेष अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	
18	GOL-32	मोहन / पन्नालाल- गौल सैलानी / गौल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना क्रमांक 94 पर 42500/-रु का भुगतान किया गया है।	-----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु का विशेष अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	
19	GOL-104	कलोश / गुलाबसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	ओवदक को आबादी भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 28 से मुआवजा राशि 126938 का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 32 के अनुसार 68000 रु का भुगतान किया गया है।	-----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु का विशेष अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	
20	GOL-44	बट्टी / मंशाराम ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के नाम संयुक्त नाम क्रमांक 1 पर मुआवजा राशि 15192 का भुगतान किया गया है। ग्राम की परिवार सूची में आवेदक का नाम नहीं है।	-----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु का विशेष अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

21	GOL-63	सरदारसिंह / हिम्मतसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबद्।	आवेदक को संयुक्त कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक 3 के अनुसार 53910 रु का भुगतान किया गया ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है।	-----	आवेदक की केवल कृषि भूमि डूब से प्रभावित है ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
22	GOL-93	भूपेन्द्र / श्यामलाल ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत्।	पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 97 के अनुसार भुगतान किया गया है।	-----	आवेदक ग्राम इंधावड़ी गोयडा एवं बीड पुनर्वास स्थल पर प्लॉट आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है -	
23	GOL-79	कडवा / अनोखीलाल ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	अनुदान भूखण्ड एवं बच्चे के नाम से अनुदान मिलने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 13 के अनुसार मुआवजा राशि 53254 का भुगतान किया गया है पु0अ0 गणना पत्रक क्रमांक 80 के अनुसार पु0अनु0 9350 का भुगतान किया गया है। आवेदक के पुत्र ललित की आयु ग्राम की अंतिम परिवार सूची में 17 वर्ष दर्ज होने से पात्रता नहीं है।	-----	पुत्र की आयु 17 वर्ष दर्ज होने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

24	GOL-87	फुन्दीबाई / बाबूसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबद्।	आवेदक को संयुक्त कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक 91 के अनुसार 66253 रु का भुगतान किया गया ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है।	-----	आवेदक की केवल कृषि भूमि डूब से प्रभावित ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है।	
25	GOL-86	नदानबाई / बाबूसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबद्।	आवेदक को संयुक्त कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक 91 के अनुसार 66253 रु का भुगतान किया गया ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है।	-----	आवेदक की केवल कृषि भूमि डूब से प्रभावित है ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
26	GOL-65	बनारस / बक्तावरसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबद्।	आवेदक को संयुक्त कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक 91 के अनुसार 66253 रु का भुगतान किया गया ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है।	-----	आवेदक की केवल कृषि भूमि डूब से प्रभावित है ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
27	GOL-72	टीकाराम / शंभू ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	जमीन का मुआवजा कम मिलने बाबद्।	आवेदक को कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 77 के अनुसार मुआवजा राशि 17010 का भुगतान किया गया है जो पर्याप्त है।	----	विधी अनुसार पर्याप्त मुआवजा का भुगतान किये जाने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

28	GOL-80	अमरीबाई / उमराव ग्राम गौल सैलानी / गोल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका का नाम से कोई परिसम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया। ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं है।	-----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु का विशेष अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	
29	GOL-49	महेश / हीरालाल ग्राम गौल सैलानी / गोल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि भूमि बीडब्ल्यूएल के मुआवजा गणना पत्रक 11 के अनुसार मुआवजा राशि 21269/- भुगतान किया गया है। आवेदक का नाम ग्राम की परिवार सूची में दर्ज नहीं है।	-----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु का विशेष अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	
30	GOL-66	बबलूसिंह / बाबूसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक को संयुक्त कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक 91 के अनुसार 66253 रु का भुगतान किया गया ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है।	-----	आवेदक की केवल कृषि भूमि डूब से प्रभावित है ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

31	GOL-78	दिनेश / अनोखीलाल ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	अनुदान मकान का मुआवजा एवं भूखण्ड देने बाबत	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 12 के अनुसार 48086 का भुगतान किया गया है पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 22 के अनुसार आवेदक को पुन.अनु. 34350 का भुगतान किया गया है । भूखण्ड के बदले की राशि आवेदक द्वारा प्राप्त कर ली गई है ।	-----	पर्याप्त एवं उचित मुआवजा एवं अनुदान दिये जाने एवं भूखण्ड के बदले की राशि प्राप्त कर लिये जाने के कारण आवेदन निरस्त	
32	GOL-81	ओंकार / हीरा ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत ।	आवेदक आबादी भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 25 से मकान का मुआवजा राशि 7930 का भुगतान किया गया है आवेदक का पुनर्वास संबंधी आवेदक शि०नि०प्रा० के प्रकरण क्रमांक 19367 आदेश दिनांक 15.06.09 के अनुसार निरस्त ।	-----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु का विषेण अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।	
33	GOL-82	भिखारीलाल / अनोखीलाल ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	अनुदान, मकान का मुआवजा अधिक एवं भूखण्ड देने के संबंध में	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 14 के अनुसार 59985 का भुगतान किया गया पुनर्वास अनुदान गणना प. क्रं. 81 के अनुसार 9350 का भुगतान किया गया है ।	-----	आवेदन निरस्ती योग्य	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

34	GOL-76	हरकचंद / गोपाल ग्राम गोल सैलानी / गौल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया है। आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नहीं है।	-----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु का विशेष अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	
35	GOL-70	नवसीबाई / चम्पिया ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदिका की केवल कृषि भूमि डूब से प्रभावित मुआवजा गणना पत्रक 80 के अनुसार 38253 रु का भुगतान किया गया ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है।	-----	आवेदक की केवल कृषि भूमि डूब से प्रभावित है ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
36	GOL-83	मंगू / नत्थू ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी भूमि मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 24 के अनुसार मकान का 8004 रु मुआवजा भुगतान किया गया है आवेदक को अपर संचालक पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्रमांक 6 क अनुसार 76850 का भुगतान किया गया है।	-----	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविका हेतु 2.5 लाख रु का विशेष अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई

37	GOL-84	रधुनाथसिंह / बाबूसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबद्।	आवेदक को संयुक्त कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक 91 के अनुसार 66253 रु का भुगतान किया गया ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है।	-----	आवेदक की केवल कृषि भूमि डूब से प्रभावित है ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
38	GOL-85	देवकीबाई / बाबूसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबद्।	आवेदक को संयुक्त कृषि भूमि मुआवजा गणना पत्रक 91 के अनुसार 66253 रु का भुगतान किया गया ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं है।	-----	आवेदक की केवल कृषि भूमि डूब से प्रभावित है ग्राम की अंतिम परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

1	SKT-60	रूपाबाई / श्यामलाल / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल क्र० 85 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 18459 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
2	SKT-906	सरदार / आदु / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 12 पर कृषि भूमि का मुआवजा 6324 रु० वि०पु०अ० 3086 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 22 पर 43700 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
3	SKT-904	रामु / गुसाई / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 6 पर मकान का मुआवजा 7880 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान क्र० 28 बी.डब्ल्यू.एल. पर 93000 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
4	SKT-901	समोतीबाई / गुसाई / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 14 पर कृषि भूमि व मकान का मुआवजा 44905 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान क्र० 31 पर 43700 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

5	SKT-905	पप्पु / रामु / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 6 पर मकान का मुआवजा 7880 रू० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 29 पर 93000 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
6	RIC-1646	नंदराम / सुखराम-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। प्लाट अनुदान देने बाबत	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 26 पर मुआवजा राशि 10326 रू० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
7	SKT-1104	कमलेश / शोभाराम / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 10 (बी.डब्ल्यू.एल.) पर कृषि भूमि व मकान का मुआवजा 20211 रू० एवं वि०पु०अ० 109 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

8	SKT-1196	उजागरसिंह / उमरसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अर्वाड क्र० 131 (बीडब्ल्यूएल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 37968 रु० भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भूअर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	
9	SKT-1194	राजेन्द्रसिंह / महेन्द्रप्रतापसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक की माता को अर्वाड क्र० 24 (बीडब्ल्यूएल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 29396 रु० भुगतान किया गया। एवं माता को जी०आर०ए० के आदेश के पालन में पुनर्वास अनुदान क्र० 43700 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश का पालन किया गया।	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
10	SKT-1195	सुरेन्द्रसिंह / महेन्द्र / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक की माता को अर्वाड क्र० 24 (बीडब्ल्यूएल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 29396 रु० भुगतान किया गया। एवं माता को जी०आर०ए० के आदेश के पालन में पुनर्वास अनुदान क्र० 43700 रु० भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० के आदेश का पालन किया गया।	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

11	SKT-1197	शंकर / गोपाल / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 118 (बीडब्ल्यूएल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 86353 रु० भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भूअर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
12	SKT-1198	गोपाल / मांगीलाल / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 30 (बीडब्ल्यूएल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 63812 रु० भुगतान किया गया।		डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भूअर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
13	SKT-64	गेंदालाल / शोभाराम / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	शामिल खाते में आवेदक को अवार्ड क्र० 35 पर कृषि भूमि का मुआवजा 91133 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27383 दिनांक 1.6.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	
14	SKT-1200	सुनिल / गोपाल / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 196 (बीडब्ल्यूएल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 26813 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

15	SKT-1103	रामदास / शोभाराम / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 10 (बी.डब्ल्यूएल.) पर कृषि भूमि व मकान का मुआवजा 20211 रू० एवं वि०पु०अ० 109 रू० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
16	SKT-1120	लक्ष्मीबाइ / तुलाराम / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के भाई को अवार्ड क्र० 75 (बी.डब्ल्यूएल.) पर मकान का मुआवजा 4275 रू० भुगतान किया गया। आवेदक को शामिल खाते में अवार्ड क्र० 29 पर कृषि भूमि का मुआवजा 132854 रू० एवं वि०पु०अ० 8366 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
17	SKT-1121	सुलोचनाबाई / तुलाराम / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को शामिल खाते में अवार्ड क्र० 29 पर कृषि भूमि का मुआवजा 132854 रू० एवं वि०पु०अ० 8366 रू० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
18	SKT-1040	शक्करबाई / सुखराम / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड (एफ.आर.एल.) क्र० 25 पर कृषि भूमि का मुआवजा 144645 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

19	SKT-908	जगदीश / जामसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के अवार्ड क्र० 46 बी. डब्ल्यू.एल. पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 24633 रू० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 23 पर 93000 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
20	SKT-1263	मिसरबाई / धन्या / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 18 (एफआरएल) पर कृषि भूमि का मुआवजा 145899 रू० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश क्र० 28692 दिनांक 23.03.09 के पालन में कंडिका 6.1 की राशि 18700 रू० भुगतान की गई।	जी०आर०ए० का पालन किया गया।	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
21	SKT-1265	हुकुम / लखन / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 200 (एफआरएल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 29438 रू० भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भू.अर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

22	SKT-1199	ओमप्रकाश / गोपाल / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल क्र० 197 पर कृषि भूमि पर स्थिति मकान का मुआवजा 42842 रु० भुगतान किया गया।		डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भूअर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
23	RIC-1009	एडिया / रूखडु-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। व जमीन के बदले जमीन देने बाबत			आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। जमीन के बदले जमीन हेतु मुआवजा व वि०पु०अ० राशि की 50 प्रति० राशि जमा करने पर विचार किया जाएगा।	
24	SKT-50	देवराम / बंकट / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड संघो. एफआरएल क्र० 33 पर कृषि भूमि का मुआवजा 19799 रु० एवं ओल्ड एफआरएल 43 पर 55292 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

25	SKT-44	सुनिल / गोपाल / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड बी. डब्ल्यूएल क्र० 196 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 26813 रु० भुगतान किया गया।	-	मतदाता सूची में नाम नहीं होने से भू.अर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
26	RIC-1268	पप्पु / रामकिशन / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	-	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
27	RIC-121	मयाराम / गनाजी / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 18514 दिनांक 11.06.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	
28	SKT-744	कमलाबाई / ताराचंद / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम जोड़ने बाबत	अवार्ड क्र० 81 पर मकान का मुआवजा 71599 रु० भुगतान किया गया।	-	ग्राम सक्तापुर में मकान है तथा वहीं रहता है। जो डूब क्षेत्र से बाहर है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

29	SKT-758	बद्रीप्रसाद / शिवनारायण / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 35113दिनांक 29.10.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
30	SKT-1193	उजागरसिंह / उमरावसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अवाईड क्र० 131 (बीडब्ल्यूएल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 37968 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भू अर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
31	RIC-1074	चिंताराम / लक्ष्मण / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।			आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
32	RIC-1073-4	इसराम / गणपत / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत जमीन के बदले जमीन, 25 लाख रु० विशेष अनुदान	आवेदक को कृषि अवाईड क्र० 27 पर मकान का मुआवजा राशि 11495 रु० भुगतान की गई।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। 25 लाख रु० विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है। जमीन के बदले जमीन जी०आर०ए० में प्रचलित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

33	RIC-985	श्याम सुंदर / फत्तु / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	-		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
34	RIC-1007	सुभाष / राधेश्याम / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।			आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
35	SKT-1123	सावित्रीबाई / सुरजपाल / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 59 (एफ.आर.एल.) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6546 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
36	SKT-1122	सुरजपाल / तुलाराम / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को शामिल खाते में अवार्ड बीडब्ल्यूएल क्र० 11 पर कृषि भूमि का मुआवजा 132 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

37	SKT-1102	शोभाराम / बावरा / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 10 (बी.डब्ल्यू.एल.) पर कृषि भूमि व मकान का मुआवजा 20211 रू० एवं वि०पु०अ० 109 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का ग्राम सक्तापुर आबादी में मकान है एवं वही निवास करना है जो डूब क्षेत्र से बाहर होने से भू. अर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
38	SKT-1589	पिंकी / कैलाशसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 152 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 7802 रू० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
39	RIC-1205	शंकर / छीतु / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	—	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
40	SKT-55	मोहन / रामरतन / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल क्र० 191 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 4349 रू० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29433 दिनांक 12.03.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	जी०आर०ए० के आदेश से आवेदक की पुनर्वास सम्बंधी मांग खारिज की जा चुकी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

41	SKT-1587	कैलाशसिंह / मेदलिया / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 152 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 7802 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
42	RIC-1348	सुमंताबाई / भुवानीराम / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान, प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 53 पर मकान की मुआवजा राशि 51663 रु० भुगतान की		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। वर्तमान में 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान देने के प्रावधान नहीं है।	
43	RIC-1504	हरिकरण / नत्थु / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत, जमीन के बदले जमीन	शामिल खाते में आवेदक को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 8 पर मुआवजा राशि 1708 रु० व वि०पु०अ० 3422 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। जमीन के बदले जमीन जी०आर०ए० में प्रचलित हे।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

44	RIC-1534	टिकाराम / दुबलिया / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत, जमीन के बदले जमीन, प्लाट अनुदान विशेष पैकेज	आवेदक को कृषि अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 9 पर मुआवजा राशि 8575 रू० एवं वि०पु०अ० 168 रू० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं है। जमीन के बदले जमीन के प्रकरण जी०आर०ए० में प्रचलित है।	
45	RIC-1535-4	नरेन्द्र / टिकाराम / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत, जमीन के बदले जमीन, प्लाट अनुदान विशेष पैकेज	आवेदक के पिता को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 9 पर मुआवजा राशि 8575 रू० एवं वि०पु०अ० 168 रू० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं है। जमीन के बदले जमीन के प्रकरण जी०आर०ए० में प्रचलित है।	
46	RIC-1536	प्रकाश / टिकाराम / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत, जमीन के बदले जमीन, प्लाट अनुदान विशेष पैकेज	आवेदक के पिता को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 9 पर मुआवजा राशि 8575 रू० एवं वि०पु०अ० 168 रू० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं है। जमीन के बदले जमीन के प्रकरण जी०आर०ए० में प्रचलित है।	
47	SKT-51	छोगालाल / गोपीचंद / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को ग्राम घोघलगांव में अवार्ड क्र० 60 पर कृषि भूमि का मुआवजा 45486 रू० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

48	SKT-52	बलराम / सजनिया / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड बी. डब्ल्यूएल क्र० 188 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 8055 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27575 दिनांक 5.01.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी	जी०आर०ए० के आदेश के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी	
49	RIC-86-4	प्रितेश / सुखदेव / रिछफल	मकान का मुआवजा अनुदान व प्लेट	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 28 पर 8352 रु० मुआवजा भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० के आदेश क्र 28462 दिनांक 13.3.09 से आवेदक के पिता की पुनर्वास की मांग अमान्य की जा चुकी है।	जी०आर०ए० से आवेदक के पिता की पुनर्वास की मांग अमान्य की जा चुकी है।	
50	SKT-58	अन्नपूर्णा / फत्तुसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	शामिल खाते में आवेदक को ग्राम घोघलगांव में अवार्ड क्र० 214 पर कृषि भूमि का मुआवजा 1324713 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
51	SKT-63	श्यामा / शोभाराम / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	शामिल खाते में आवेदक को अवार्ड क्र० 35 पर कृषि भूमि का मुआवजा 91133 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

52	GOL-176	साहेबसिंह / मोहनसिंह / गोल सेलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के नाम से कृषि भूमि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-64 पर राशि रु. 1201 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 338 का भुगतान किया गया।		ग्राम की आबादी भूमि डूब प्रभावित नहीं होने से परिवार सूची नहीं बनाई गई।	
53	SKT-67-4	शोभाराम / बावराजी / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अवार्ड क्र० 28 पर कृषि भूमि व उस पर स्थित मकान का मुआवजा 146598 रु० भुगतान किया गया। एवं क्र० 10 बी.डब्ल्यूएल. पर मकान का मुआवजा 20211 रु० भुगतान किया गया।		डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भू-अर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
54	SKT-68	रामप्यारी / बल्लु / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अवार्ड बीडब्ल्यूएल क्र० 74 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 19877 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
55	SKT-69	चम्पु / चामटा / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अवार्ड टापू क्र० 1 पर कृषि भूमि का मुआवजा 57050 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

56	RIC-1537	जितेन्द्र / टिकाराम / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत, जमीन के बदले जमीन, प्लॉट अनुदान विशेष पैकेज	आवेदक के पिता को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 9 पर मुआवजा राशि 8575 रु० एवं वि०पु०अ० 168 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान व प्लॉट की पात्रता नहीं है। जमीन के बदले जमीन के प्रकरण जी०आर०ए० में प्रचलित है।	
57	SKT-16	ननईबाइ / गणपत / सक्तापुर	मेरा एवं मेरे परिवार का नाम परिवार सूची में जोड़ने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 82 बी. डब्ल्यू.एल पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 4235 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
58	SKT-92	लोभीलाल / दगडूजी / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 72 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 23997 रु० भुगतान किया गया	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
59	SKT-1590	संजुसिंह / कैलाशसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 152 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 7802 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

60	SKT-1594-1	पूरणसिंह / दीपसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत, भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को ग्राम केलवाबुजुर्ग में अवाई क्र० 90 मकान का मुआवजा 26312 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
61	SKT-21	गजानंद / लोभीलाल / सक्तापुर	मेरा एवं मेरे परिवार का नाम परिवार सूची में जोड़ने बात	आवेदक के पिता को अवाई क्र० 72 बी.डब्ल्यूएल पर मकान का मुआवजा 23997 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
62	SKT-20	अनिता / गजानंद / सक्तापुर	मेरा एवं मेरे परिवार का नाम परिवार सूची में जोड़ने बाबत	आवेदक के पिता को अवाई क्र० 72 बी.डब्ल्यूएल पर मकान का मुआवजा 23997 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
63	SKT-19	गोविंद / लोभीलाल / सक्तापुर	मेरा एवं मेरे परिवार का नाम परिवार सूची में जोड़ने बाबत	आवेदक के पिता को अवाई क्र० 72 बी.डब्ल्यूएल पर मकान का मुआवजा 23997 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

64	RIC-1347-3	सलोकी / भुवानीराम / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान, प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 53 पर मकान की मुआवजा राशि 51663 रु० भुगतान की		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। वर्तमान में 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान देने के प्रावधान नहीं है।	
65	SKT-17	कमलाबाई / ताराचंद / सक्तापुर	मेरा एवं मेरे परिवार का नाम परिवार सूची में जोड़ने बाबत	-	-	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भूअर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
66	SKT-1588	अजयसिंह / कैलाशसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम दर्ज करने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 152 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 7802 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम दर्ज नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
67	SKT-15	सुमनबाई / कमलसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 164 पर कृषि भूमि का मुआवजा 157475 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

68	RIC-1508	सुनिताबाई / शंकर / रिछफल	अनुदान बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 50 पर मकान की मुआवजा राशि 272685 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
69	RIC-1327	दीपक / ग्यारसीलाल / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान, प्लाट दिये जाने बाबत	आवेदक के पिता को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 38 पर मकान की मुआवजा राशि 46766 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान, प्लाट दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
70	RIC-1329	रविन्द्र / ग्यारसीलाल / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान, प्लाट दिये जाने बाबत	आवेदक के पिता को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 38 पर मकान की मुआवजा राशि 46766 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान, प्लाट दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

71	RIC-1328	ग्यारसिया / घनश्याम / रिछफल	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान, प्लाट दिये जाने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 38 पर मकान की मुआवजा राशि 46766 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान, प्लाट दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
72	RIC-88-4	गौरव / सुखदेव / रिछफल	मकान का मुआवजा अनुदान व प्लाट	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 28 पर 8352 रु० मुआवजा भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० के आदेश क्र 28462 दिनांक 13.3.09 से आवेदक के पिता की पुनर्वास की मांग अमान्य की जा चुकी है।	जी०आर०ए० से आवेदक के पिता की पुनर्वास की मांग अमान्य की जा चुकी है।	
73	SKT-18	लोभीराम / दगडु / सक्तापुर	मेरा एवं मेरे परिवार का नाम परिवार सूची में जोड़ने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 72 बी. डब्ल्यू.एल पर मकान का मुआवजा 23997 रु० भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भूअर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
74	SKT-77	रामकरण / सुकराम / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक की माता को अवार्ड संशो० एफआरएल. क्र० 60 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6565 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

75	SKT-10	मंगतीबाई / गड़बड़ / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड क्र० 232 पर कृषि भूमि का मुआवजा 203759 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
76	SKT-1618	फुलचंद / भुक्कन-सक्तापुर / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 228 पर मुआवजा राशि 9841 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
77	RIC-1617	सीमा / मयाराम / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 7 पर मुआवजा राशि 6788 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

78	SKT-76	कलाबाई / ज्ञानसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28672 दिनांक 18.03.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण से आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	
79	SKT-83	मंगत्या / नान्या / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड बी. डब्ल्यूएल. क्र० 90 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 14128 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
80	RIC-1645	चिंताराम / घीलया-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्। जमीन के बदले जमीन	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 10 पर मुआवजा राशि 724 रु० व वि०पु०अ० 1841 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है। जमीन के बदले जमीन के प्रकरण जी०आर०ए० में प्रचलित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

81	SKT-78	शक्करबाई / सुकराम / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड संशोधित एफआरएल. क्र० 60 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6565 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
82	RIC-1647	शोभाराम / सुकराम-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। प्लॉट अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 26 पर मुआवजा राशि 10326 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को अनुदान व प्लॉट की पात्रता नहीं आती है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
83	SKT-75-4	गोपाल / मांगीलाल / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड बी.डब्ल्यू. एल. क्र० 30 पर कृषि भूमि व पर स्थित मकान का मुआवजा 63812 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

84	SKT-73	सुनिताबाई / महेश / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड बी.डब्ल्यू. एल. क्र० 115 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 85372 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
85	SKT-1890	मीराबाई / कुंवरजी / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 71 कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 23997 रु० भुगतान किया गया। आवेदिका को		केवल कृषि भूमि प्रभावित होने से शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में कंडिका 6.1 की राशि दी गई, पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
86	SKT-1891	शिवप्रसाद / बंद्रीप्रसाद / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 129 कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 11137 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
87	SKT-715	पन्नालाल / नत्थु / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड बी.डब्ल्यू. एल. क्र० 106 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 2047 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

88	SKT-9-1	देवराम / किशन / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड बी.डब्ल्यू. एल. क्र० 73 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 19877 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
89	SKT-81	गायत्रीबाई / आशाराम / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पति को अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 140 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6376 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
90	RIC-1887	रामलाल / देवराम-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 49 पर मुआवजा राशि 52156 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
91	GOL-147/	गहनाबाई / नत्थुसिंह / गोलसैलानी	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदिका के नाम से कृषि भूमि अवार्ड गणना क्रमांक 61 पर मुआवजा राशि 49693रु० का भुगतान किया गया है।	-	आवेदिका के नाम से मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा परिवार सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जा सकता।	-

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

92	SKT-1620	प्रकाश / फुलचंद-सक्तापुर / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 228 पर मुआवजा राशि 9841 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
93	SKT-14	तुलसीराम / किसन / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को ग्राम घोघलगांव में अवार्ड क्र० 274 पर कृषि भूमि का मुआवजा 22856 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
94	RIC-1611	मयाराम / गनाजी-रिछफल / रिछफल	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 7 पर मुआवजा राशि 6788 रु० भुगतान की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 18514 दिनांक 11.06.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास अनुदान की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेशानुसार आवेदक की पुनर्वास अनुदान की मांग खारिज की जा चुकी है। आवेदक को कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

95	GOL-48/	लखमेशिंह / घीसाजी / गोलसेलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि गणना क्र.5 पर राशि 2692रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुनर्वास अनुदान गणना क्र.5 पर 3976रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम में मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का नाम परिवार सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है।	
96	SKT-1619	भुरीबाई / फुलचंद-सक्तापुर / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 228 पर मुआवजा राशि 9841 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
97	RIC-1885	मनोहर / भगन-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 42 पर मुआवजा राशि 65459 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

98	SKT-89	शिवप्रसाद / बद्रीप्रसाद / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को अवार्ड बी.डब्ल्यूएल. क्र० 129 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 11137 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29497 दिनांक 27.02.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है। आवेदन निरस्त योग्य है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण से आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
99	RIC-1889	सीमाबाई / मयाराम-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 7 पर मुआवजा राशि 6788 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
100	SKT-92-4	छतरसिंह / ज्ञानसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	जी०आर०ए० के आदेश के पालन में कंडिका 6.1 की राशि 18700 रु० भुगतान की गई।	—	केवल कृषि भूमि प्रभावित होने से शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में कंडिका 6.1 की राशि दी गई, पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

101	RIC-1852	हुकुमचंद / अनारसिंह-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। प्लाट, अनुदान देने बाबत	आवेदक की माता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 20 पर मुआवजा राशि 8213 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं आती है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
102	RIC-1851	त्रिलोकचंद / अनारसिंह-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। प्लाट, अनुदान देने बाबत	आवेदक की माता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 20 पर मुआवजा राशि 8213 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं आती है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

103	RIC-1850	अलोकचंद / अनारसिंह-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। प्लाट, अनुदान देने बाबत	आवेदक की माता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 20 पर मुआवजा राशि 8213 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं आती है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
104	RIC-1650	सुखराम / गणपत-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। प्लाट अनुदान देने बाबत	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 26 पर मुआवजा राशि 10326 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं आती है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

105	SKT-1868	अनारबाई / प्रतापसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 64 कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 36628 रु० भुगतान किया गया।		आवेदिका का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
106	SKT-29	मिश्रीलाल / गोंपाल / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड क्र० 79 बी. डब्ल्यूएल पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6867 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
107	SKT-49	अन्नू / बंकट / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड क्र० 44 पर कृषि भूमि का मुआवजा 53596 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
108	SKT-37	जगन / गोपीचंद / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28654 दिनांक 27.02.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	जी०आर०ए० से आवेदक की मांग खारिज की जा चुकी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

109	SKT-38	रूखड़ीबाई / धिस्या / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड क्र० 23 संशोधित एफआरएल पर कृषि भूमि का मुआवजा 224392 रू० भुगतान किया गया। शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28701 दिनांक 20.03.09 से आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि 18700 स्वीकृत की गई।		केवल केवल कृषि भूमि प्रभावित होने से शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में कंडिका 6.1 की राशि दी गई, पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
110	SKT-40	नत्थीबाई / नंदु / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को शामिल खाते में अवार्ड क्र० 51 पर कृषि भूमि का मुआवजा 39346 रू० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
111	SKT-41	प्रेमलाल / किशन / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को शामिल खाते में अवार्ड क्र० 36 पर कृषि भूमि का मुआवजा 210479 रू० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 35112 दिनांक 29.10.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

112	SKT-32	विष्णुप्रसाद / बंदीप्रसाद / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 129 बी.डब्ल्यूएल पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 11137 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 35112 दिनांक 29.10.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	
113	SKT-48	भाईराम / बंकट / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 45 पर कृषि भूमि का मुआवजा 73864 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
114	SKT-30	शंकर / गोपाल / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 118 बी.डब्ल्यूएल पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 86353 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
115	SKT-1	हुकुम / लखन / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 200 बी.डब्ल्यूएल पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 29438 रु० भुगतान किया गया।		डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भूअर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

116	SKT-25	मोहन / भीकाजी / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड क्र० 86 बी. डब्ल्यूएल पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 18459 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
117	SKT-22	रामचंद्र / लोभीलाल / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 72 बी.डब्ल्यूएल पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 23997 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
118	SKT-12	उषाबाई / जसवंत / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 102 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6228 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

119	RIC-1648	आसाराम / सुखराम-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। प्लॉट अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 26 पर मुआवजा राशि 10326 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को अनुदान व प्लॉट की पात्रता नहीं आती है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
120	SKT-24	सकुबाई / ज्ञानसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को ग्राम घोघलगांव में अवार्ड क्र० 64 पर कृषि भूमि का मुआवजा 170881 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
121	SKT-23	रविन्द्र / गजानंद / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के दादा को अवार्ड क्र० 72 बी.डब्ल्यूएल पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 23997 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

122	SKT-34	ओमप्रकाश / गोपाल / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड क्र० 197 बी.डब्ल्यूएल पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 42842 रु० भुगतान किया गया।	-	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से भूअर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
123	SKT-45	बाबूलाल / मांगीलाल / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को ग्राम घोघलगांव में अवार्ड क्र० 225 पर कृषि भूमि का मुआवजा 42654 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
124	SKT-13	कमलाबाई / दुलन / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को ग्राम घोघलगांव में अवार्ड क्र० 184 पर कृषि भूमि का मुआवजा 272740 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
125	SKT-47-1	चंपालाल / गोपीचंद / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को ग्राम घोघलगांव में अवार्ड क्र० 69 पर कृषि भूमि का मुआवजा 60950 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

126	SKT-39	कड़वीबाई / भुवानीशंकर / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड क्र० 212 बी.डब्ल्यूएल पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 9197 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 21044 दिनांक 27. 02.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	
127	GOL-120	प्रहलाद / देवेसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 22 पर मुआवजा राशि 222291 रु० भुगतान की गई		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
128	GOL-113	जतनबाई / देवेसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 21 पर मुआवजा राशि 236894 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
129	GOL-122	हरेसिंह / भोलुसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 51 पर मुआवजा राशि 144010 रु० भुगतान की गई		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

130	GOL-116	सरदार / किशोरसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 38 पर मुआवजा राशि 106365 रु० भुगतान की गई		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
131	GOL-115	राधेश्याम / शेरसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 60 से मुआवजा राशि 250155 रु० भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
132	GOL-125	प्रहलाद / नहारसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 60 से मुआवजा राशि 250155 रु० भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
133	GOL-117	महेश / हीरालाल-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को कृषि अवार्ड बी. डब्ल्यूएल. क्र० 11 पर मुआवजा राशि 21269 रु० भुगतान की गई	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

134	GOL-111	नन्नुसिंह / भोलुसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 53 पर मुआवजा राशि 157649 रु० भुगतान की गई		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
135	GOL-106-4	जगदीश / गुलाबसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 3 पर मुआवजा राशि 198002 रु० भुगतान की गई	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
136	GOL-106	आशाबाई / करणसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 6 पर मुआवजा राशि 17861 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
137	GOL-100	पुरनसिंह / देवेसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 21 पर मुआवजा राशि 236894 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
138	GOL-96	सजनबाई / लक्ष्मण-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 12 पर मुआवजा राशि 250555 रु० भुगतान की गई		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

139	GOL-99	तेजुबाई / रतन-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 4 पर मुआवजा राशि 41479 रु० भुगतान की गई		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
140	GOL-94	नागेश्वर / लक्ष्मण-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 66 पर मुआवजा राशि 92668 रु० भुगतान की गई।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
141	GOL-128	उशाबाई / करणसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 6 पर मुआवजा राशि 17861 रु० भुगतान की गई।		आवेदिका का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
142	GOL-97	निर्मलाबाई / नहारू सिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 60 से मुआवजा राशि 250155 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

143	GOL-105	दंडुसिंह / देवेसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 21 पर मुआवजा राशि 236894 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
144	GOL-60	अरूणाबाई / करणसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 6 पर मुआवजा राशि 17861 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
145	GOL-45	खुशीयाल / प्रेमा ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 13 से मुआवजा राशि 368544 रु० भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
146	GOL-51	शिवराम / गणपत ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

147	GOL-9	जितेन्द्र / भगवान -ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 2 से मुआवजा राशि 13035 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
148	GOL-74-4	बद्रीप्रसाद / टिकाराम-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।			आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
149	GOL-74	बद्रीप्रसाद / टिकाराम-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।			आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
150	GOL-92	ममताबाई / देवीसिंह-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 21 पर मुआवजा राशि 236894 रु भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

151	GOL-67	शंकर / नवसीबाई—गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक की माता कौं कृषि अवार्ड क्र० 80 पर मुआवजा राशि 38253 रू० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
152	GOL-68	कैलाश / टीकाराम—गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	—	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
153	GOL-59	जगदीश / पुजनसिंह—गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक कौं शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 58 पर मुआवजा राशि 69290 रू० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
154	GOL-58	लालसिंह / पुजनसिंह—गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक कौं कृषि अवार्ड क्र० 43 पर मुआवजा राशि 80195 रू० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
155	GOL-130	सुधीर / करणसिंह—गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक कौं शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 6 पर मुआवजा राशि 17861 रू० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

156	GOL-990	दगडु / भोलु-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 52 पर मुआवजा राशि 131195 रु० भुगतान की गई		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
157	GOL-52	पुजनसिंह / भगवानसिंह गोल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 40 से मुआवजा राशि 76208 रु० भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
158	GOL-55	कृष्णाबाई / नहालसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 60 से मुआवजा राशि 250155 रु० भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
159	GOL-69	भोलेनाथ / नसवीबाई-गोल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक की माता को कृषि अवार्ड क्र० 80 पर मुआवजा राशि 38253 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

160	GOL-19	सुनील / श्यामलाल ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत् ।	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 30 से मुआवजा राशि 89948 रु भुगतान किया गया । परिवार सूची में आवेदक अवयस्क उम्र 17 वर्ष दर्ज होने से पात्रता नहीं ।	-----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक अवयस्क उम्र 17 वर्ष दर्ज होने से आवेदन निरस्त	
161	GOL-131	बनवटसिंह / शेरसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत् ।	आवेदक को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 60 से मुआवजा राशि 250155 रु भुगतान किया गया । परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं ।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
162	GOL-132	बोंदर / नाहरू ग्राम गौल सैलानी / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत् ।	आवेदक को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 60 से मुआवजा राशि 250155 रु भुगतान किया गया । परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं ।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

163	GOL-138	आधारसिंह / नहारसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 60 से मुआवजा राशि 250155 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
164	GOL-14	खुमानसिंह / नत्थुसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 63 से मुआवजा राशि 31896 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
165	GOL-62	गीताबाई / नाहरू ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 60 से मुआवजा राशि 250155 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
166	GOL-15	गंगाराम / लक्ष्मण - ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 62 से मुआवजा राशि 64490 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

167	GOL-43	लक्ष्मीबाई / देवेशिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 21 से मुआवजा राशि 236894 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
168	GOL-2	शौभागसिंह / किशोरसिंह गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 29 से मुआवजा राशि 224851 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
169	GOL-20	नैनसिंह / गोविन्द ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 20 से मुआवजा राशि 145120 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

170	GOL-4	भारतसिंह / किशोरसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 29 से मुआवजा राशि 224851 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
171	GOL-3	सरदारसिंह / किशोरसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 29 से मुआवजा राशि 224851 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
172	GOL-39	नवसीबाई / चर्मपिया गाम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 80 से मुआवजा राशि 38253 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 4 परिवार सूची में नाम शामिल नहीं

173	GOL-21	जयसिंह / गोविन्दसिंह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को संयुक्त रूप से मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 20 से मुआवजा राशि 145120 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
174	GOL-38	मायाबाई / बसन्त ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 106 से मुआवजा राशि 106715 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदिका का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	
175	GOL-37	राधेश्याम / भाईराम -ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) व (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 98 से मुआवजा राशि 28284 रु भुगतान किया गया। परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	षि.नि.प्रा. के आदेश का पालन किये जाने का	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से आवेदन निरस्त	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

1	SKT-689	दशरथ / दयाराम / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 172 पर मकान का मुआवजा 6032 रु० भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० के आदेश अनुसार क्र० 14 पर पुनर्वास अनुदान 93000 रु० भुगतान किया गया।	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
2	GOL-57	जितेन्द्र / भोलूसिंह / गोलसेलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत।	—	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे कृषि भूमि एवं मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
3	SKT-688	मोहन / रामरतन / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 191 पर मकान का मुआवजा 4349 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
4	SKT-1468	शोभाराम / बावराजी / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 अ व ब के अंतर्गत शामिल करने बाबत	अवार्ड क्र० 28 पर कृषि भूमि का मुआवजा 146598 रु० एवं वि०पु०अ० 16829 रु० भुगतान किया गया। एवं अवार्ड क्र० 10 पर कृषि भूमि का मुआवजा 20211 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

5	SKT-1495	दीपक / शिवजी / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक की मां को अवार्ड क्र० 183 पर मकान का मुआवजा 39882 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
6	SKT-840	पिंजारीबाई / धूरसिंह / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	—	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29485 दिनांक 13.03.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
7	SKT-1494	शिवजी चौकडे / मांगीलाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक की पत्नी को अवार्ड क्र० 183 पर मकान का मुआवजा 39882 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
8	SKT-1493	शकुंतला / शिवाजी / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 183 पर मकान का मुआवजा 39882 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

9	SKT-836	छमाबाई / सखाराम / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	दादी छमाबाई के नाम अवार्ड क्र० 195 पर मकान का मुआवजा 21447 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
10	GOL-56	प्रशांत कुमार / अशरफीलाल / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से ग्राम आबादी गणना क्र.45 पर मकान का मुआवजा राशि 224853रू० का भुगतान किया गया है तथा पुनर्वास अनुदान गणना क्र.44 पर 9350रू० का भुगतान किया गया है	—	आवेदक का ग्राम में मकान का अर्जन किया जा चुका है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	
11	SKT-798	बरफया / नत्थु / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	माता काभाबाई पति नत्थु के नाम अवार्ड क्र० 170 पर मकान का मुआवजा 10226 रू० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27387 दिनांक 15.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
12	GOL-61	गजराजसिंह / गुलाबसिंह / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से आबादी गणना क्र 30 पर राशि 117832रू० का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना क्र.17 पर 9350रू० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का ग्राम में मकान का अर्जन किया जा चुका है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

13	SKT-841	साईबुबाई / सखाराम-सक्तापुर / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	मकान का मुआवजा दादी पिंजारीबाइ धुरसिंह के नाम 21447 रू० दिया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
14	SKT-820	शिवप्रसाद / बंदीप्रसाद / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 129 पर पिता के नाम मकान का मुआवजा 11137 रू० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29497 दिनांक 27.02.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
15	SKT-839	मुकेश / सखाराम / सक्तापुर	अनुदान व प्लॉट बाबत	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29486 दिनांक 13.03.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
16	SKT-711	गंगाबाई / बिहारी / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अवार्ड क्र० 48 पर कृषि भूमि का मुआवजा 241568 रू० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से एवं मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

17	SKT-838	बद्री / सखाराम / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	—	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 35111 दिनांक 29.10.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	—
18	SKT-823	सुप्रिया / देवीप्रसाद / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	—	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29496 दिनांक 27.02.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	—
19	GOL-54	भगवानसिंह / अनारसिंह—गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि गणना अवार्ड क्र. 15 पर राशि 182204रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुर्नवास अनुदान गणना क्र.15 पर 43073रु० का भुगतान किया गया है। जीआरए पुर्नवास अनुदान गणना क्र8 पर आवेदक को 18700 की राशि का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

20	GOL-29	गजू / झबरसिंग-गोलसेलानी / गोलसेलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से बीडब्युएल कृषि भूमि के गणना क्र.17 पर मुआवजा राशि 52667रु० का भुगतान किया गया है। तथा पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 87 पर 68000रु० का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	-
21	SKT-837	सुबलीबाई / सखाराम / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	-	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
22	SKT-806	रुखड़ीबाई / घिस्या / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 23 पर मकान का मुआवजा 224392 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से एवं मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
23	SKT-822	शीतल / देवीप्रसाद-सक्तापुर / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29495 दिनांक 27.02.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

24	SKT-821	चंचल / देवीप्रसाद / सक्तापुर	मकान का मुआवजा / अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	—	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 35114 दिनांक 29.10.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
25	SKT-842	रामचंद्र / सखाराम—सक्तापुर / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	अवार्ड क्र० 195 पर दादी पिंजारीबाई को मुआवजा 21447 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29479 दिनांक 13.03.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
26	SKT-392	श्यामु / चामटा / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	मुआवजा 11230 रु० भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवासरत् नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	
27	Gol-1316	सुखराम / धन्नालाल / गोल सैलानी	रोजगार दिलाने बाबत।	—	—	आवेदक को रोजगार संबंधी आवेदन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आवेदन पत्र निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

28	GOL-185	मुकेश / मोतीराम / गोल सेलानी	मकान का मुआवजा, अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के दादाजी के नाम से आबादी गणना क्रमांक 43 पर मकान की राशि 462003रु० का भुगतान किया गया है।	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची के सरल क्रमांक 42 एवं मकान नंबर 28 पर आवेदक का नाम नाती के रूप में दर्ज है इसलिये प्लॉट एवं मकान एवं अनुदान व प्लॉट की पात्रता नहीं आती।	
29	GOL-184	मुकेश / मोतीराम / गोल सेलानी	मकान का मुआवजा तथा अनुदान राशि तथा प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के दादाजी के नाम से आबादी गणना क्रमांक 43 पर मकान की राशि 462003रु० का भुगतान किया गया है।	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची के सरल क्रमांक 42 एवं मकान नंबर 28 पर आवेदक का नाम नाती के रूप में दर्ज है इसलिये प्लॉट एवं मकान एवं अनुदान व प्लॉट की पात्रता नहीं आती।	—
30	GOL-1255	रेवाराम / धन्नालाल —गौलसैलानी / गौलसैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को आवर्ड गणना नंबर 107 पर जमीन की मुआवजा राशि रु. 83980 का भुगतान किया गया।	---	जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।	
31	Gol-130	हरेसिंह / भोलूसिंह / गोल सैलानी	जमीन डूब में आने के बाद बचे घर को अधिग्रहित करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

32	GOL-23/	रूपसिंह / गोविंद / गोलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के नाम से संयुक्त खाते में कृषि अवार्ड गणना क्र. 20 पर राशि 145120रू0 का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 20 पर राशि 56461रू0 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से मकान का अर्जन नहीं हुआ है तथा आवेदक का नाम परिवार सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है।	
33	GOL-24	नारायणसिंह / गोविंदसिंह / गोलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्	आवेदक के नाम से संयुक्त खाते में कृषि अवार्ड गणना क्र. 20 पर राशि 145120रू0 का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 20 पर राशि 56461रू0 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से मकान का अर्जन नहीं हुआ है तथा आवेदक का नाम परिवार सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है।	
34	GOL-183/	मुकेश / मोतीराम / गोल सेलानी	मकान का मुआवजा एवं प्लॉट बाबत्	आवेदक के पिता को मकान का मुआवजा राशि 462003 राशि का भुगतान किया गया।	—	ग्राम के अंतिम परिवार सूची के सरल क्रमांक 28 एवं मकान न. 42 पर नाती के रूप में दर्ज है तथा मुआवजा एवं अनुदान की पात्रता नहीं रखता है।	—
35	SKT-455	सुरेन्द्र / मिश्रीलाल / सक्तापुर	2.5 लाख का विशेष अनुदान एवं प्लाट	—	—	डूब क्षेत्र में निवासरत् नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
ग्राम का नाम : अन्य ग्राम		आवेदन पत्र का प्रकार :		7	पुनर्वास संबंधी की गई	मांग एवं शिकायत	
36	SKT-454	महेन्द्र / मिश्रीलाल / सक्तापुर	प्लॉट एवं 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान बाबत	—	—	डूब क्षेत्र में निवासरत् नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	
37	GOL-243	कड़वाजी / घीसाजी / गोलसेलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में 2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	—	—	आवेदक के नाम से मकान एवं कृषि भूमि का अर्जन नही हुआ है तथा वर्तमान में 2.5 लाख रू० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नही है। आवेदन निरस्त योग्य है।	—
38	SKT-453	राकेश / मिश्रीलाल / सक्तापुर	2.5 लाख का विशेष अनुदान एवं प्लॉट	अवार्ड क्र० 60 पर 9157 रू० मकान का मुआवजा दिया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवासरत् न होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
39	GOL-31	कमलचंद / रेवाराम—गोलसेलानी / गोलसेलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के नाम से आबादी गणना क्र. 41 पर मुआवजा राशि 38905रू० का भुगतान किया गया है। तथा आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 65 पर 42500रू० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रू० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नही है। आवेदन निरस्त योग्य है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

40	GOL-165	बसंत / रामलाल-गोलसेलानी / गोलसेलानी	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड गणना क्र. 37 पर 464881रु० का मुआवजा दिया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
41	GOL-53	हरेसिंह / अनारसिंह-गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि गणना अवार्ड क्र. 16 पर राशि 131444रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुनर्वास अनुदान गणना क्र.16 पर 38235रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	—
42	SKT-997	मंगतीबाई / गड़बड़ / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 232 पर कृषि भूमि का मुआवजा 203759 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	
43	SKT-797	बेरसिंह / सुरभान / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	अवार्ड क्र० 169 पर मकान का मुआवजा 11821 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27392 दिनांक 11.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

44	GOL-25	गुलाबसिंह / भीमसिंह-गोलसेलानी / गोलसेलानी	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से आबादी गणना क्र. 37 पर 148873रु० का भुगतान किया गया है। पुनर्वास अनुदान गणना क्र.52 पर 68000रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक पुनर्वास स्थल गोयडा, इंधावडी एवं बीड में आवेदन कर सकता है।	—
45	GOL-26	रमेश / जाम्या / गोलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्र.201 पर ग्राम घोघलगांव में कृषि भूमि का अर्जन किया गया जिसकी मुआवजा राशि 49628रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम में कृषि एवं मकान का अर्जन नहीं हुआ है आवेदक का नाम परिवार सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।	
46	GOL-27	राकेश / तेजसिंह / गोलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से आबादी गणना क्र.32 पर मुआवजा राशि 13873रु० का भुगतान किया गया है।	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है।	
47	GOL-28	दंडुसिंह / बागसिंह-गोलसेलानी / गोलसेलानी	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को आबादी गणना क्र. 1 पर राशि 78498 का भुगतान किया गया है। एवं पुनर्वास अनुदान गणना क्र 1 पर 9350रु. का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक पुनर्वास स्थल गोयडा, इंधावडी एवं बीड में आवेदन कर सकता है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

48	GOL-30	करणसिंह / झवर-गोलसेलानी / गोलसेलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के भाई के नाम से बीडब्युएल कृषि भूमि के गणना क्र.17 पर मुआवजा राशि 52667रु० का भुगतान किया गया है। तथा आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 88 पर 68000रु० का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	-
49	GOL-34	कुसुमबाई / धन्नालाल-गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का जो कि गलत नाम से अवार्ड किया गया है वह मेरे स्वयं के नाम से करने बाबत्।	-	-	आवेदिका के देवर राजाराम पिता शोभाराम के नाम से मकान गणना क्र.27 पर राशि 29616रु० का भुगतान किया जा चुका है जो कि प्रस्तावित विभाग द्वारा मकान का प्रस्ताव देवर के नाम से ही दिया गया था आवेदिका का नाम प्रस्ताव में नहीं आया था तथा आवेदन निरस्त योग्य है। शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल के आदेश क्र.20069 आदेश दिनांक 18.6.09 के अनुसार आवेदन अमान्य किया गया है।	-

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

50	GOL-40	जगदीश / गुलाबसिंह / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से पी डब्ल्यू एल आबादी गणना क्र.29 पर मुआवजा राशि 179987रु० का भुगतान किया गया है तथा आवेदक को पुर्नवास अनुदान गणना क्र.16 पर राशि 68000रु का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का मकान का अर्जन किया गया है एवं अनुदान राशि का भी भुगतान किया गया है एवं पुनर्वास अनुदान का भी भुगतान किया गया है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	
51	GOL-41	कुंतीबाई / असरफीलाल / गोलसैलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदिका के नाम से आबादी पी डब्ल्यू एल गणना क्र46 पर मुआवजा राशि 320538रु० का भुगतान किया गया है। आवेदिका को पुर्नवास अनुदान गणना क्र. 31 पर 9350रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का मकान का अर्जन किया गया है एवं पुर्नवास अनुदान राशि का भी भुगतान किया गया है तथा आवेदन निरस्त योग्य है।	
52	GOL-42	रमेशसिंह / नत्थुसिंह- गोलसैलानी / गोलसैलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि गणना अवार्ड क्र. 14 पर राशि 464122रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुर्नवास अनुदान गणना क्र.14 पर 163565रु० का भुगतान किया गया है। जीआरए पुर्नवास अनुदान गणना क्र.10 पर 9350रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

53	GOL-46	सुशीलाबाई / रामलाल—गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदिका के नाम से कृषि भूमि गणना अवार्ड क्र. 99 पर राशि 12034रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुनर्वास अनुदान गणना क्र.99 पर 24896रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नही हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	—
54	Gol-134	समोतिबाई / चुन्नीलाल / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नही होने से अनुदान की पात्रता नही बनती है।	
55	Gol-112	जगदीश / गुलाबचंद / गोल सैलानी	घर का मुआवजा रु. 20000 से कम बनने पर कंडिका-7. 2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्रमांक 18 पर राशि रु० 11778 एवं पुनर्वास अनुदान क्रं.-25 रु० 9350 दी जा चुकी है।	---	इंदिरा आवास के तहत पुनर्वास नीति की कंडिका-7. 2 के अनुसार शेष राशि दिया जाना उचित है।	
56	SKT-1061	नंदु / हब्बु / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक की माता को अवार्ड एफ.आर.एल. क्र० 54 पर मकान का मुआवजा 6303 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

57	SKT-1118	रामपाल / तुलाराम / सक्तापुर	प्लॉट देने बाबत	—	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28682 दिनांक 23.03.09 से आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत की गई जिसका भुगतान किया गया है।	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदक को कंडिका 7.1 की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
58	SKT-1117	संतोष / तुलाराम / सक्तापुर	प्लॉट देने बाबत		शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28683 दिनांक 19.03.09 से आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत की गई जिसका भुगतान किया गया है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28683 दिनांक 19.03.09 से आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत की गई जिसका भुगतान किया गया है। आवेदक को कंडिका 7.1 की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

59	GOL-75	रमेश / नत्थुजी-गोलसेलानी / गोलसेलानी	शेष बची जमीन का अर्जन करने बाबत	आवेदक के नाम से कृषि भूमि गणना अवाई क्र. 14 पर राशि 464122रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुनर्वास अनुदान गणना क्र.14 पर 165365रु० का भुगतान किया गया है। शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से पुनर्वास अनुदान क्र. 10 पर आवेदक को 9350 रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक द्वारा शेष बची जमीन का अर्जन हेतु अपनी सहमति प्रस्ताव विभाग को दे सकता है।	—
60	SKT-1116	श्यामलाल / तुलाराम / सक्तापुर	प्लॉट देने बाबत	—	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28684 दिनांक 19.03.09 से आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत की गई जिसका भुगतान किया गया है।	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया। आवेदक को कंडिका 7.1 की पात्रता नही है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

61	GOL-88	देवेसिंह / उमरावसिंह / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से बीडब्युएल आबादी गणना क्र. 31 पर मुआवजा राशि 258128रु० का भुगतान किया गया। आवेदक को पुर्नवास अनुदान गणना क्र. 18 पर 9350 रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का ग्राम में मकान का अर्जन किया जा चुका है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	
62	GOL-89	कैलाश / घीसा-गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत्।	आवेदक के नाम से आबादी बी डब्यु एल गणना अवार्ड क्र. 39 पर राशि 52725रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुर्नवास अनुदान गणना क्र.14 पर 165365रु० का भुगतान किया गया है। पुर्नवास अनुदान क्र. 23 पर राशि 68000रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का ग्राम में मकान का अर्जन किया जा चुका है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	—
63	Gol-127	पूरणसिंह / घीसाजी / गौल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लाट प्रदाय करने बाबत्।	—	—	पुनर्वास स्थलों में रिक्त भूखण्डों में से ही भूखण्ड आवंटित किया जा सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

64	Gol-124	जगदीश / एवं अन्य / गोल सैलानी	डूब से बहार जाने वाली कृषि जमीन में ओंकारेश्वर बाँध से पानी भरने से रास्ता बंद हो जाने बाबत।	---	---	भू-अर्जन कार्यालय से आवेदन संबंधित न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।	
65	Gol-123	भागवती / दयाराम / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
66	SKT-11-1	सरदारसिंह / गजराज-सक्तापुर / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	-	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से प्लॉट की पात्रता नहीं है।	
67	SKT-995	अनोखीलाल / गोपीचंद, गुर्जर / सक्तापुर	अनुदान व प्लॉट बाबत	अवार्ड क्र० 20 पर कृषि भूमि का मुआवजा 51789 रु० भुगतान किया गया। (घोघलगांव)	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
68	SKT-284	राधा / देवराम -सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदिका के पिता देवराम पिता छगन के नाम बी.डब्ल्यू. एल. अवार्ड गणना नंबर 187 पर राशि रु. 10577।	-----	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

69	SKT-1058	सुंदरबाई / कड़वाजी / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 168 पर मकान का मुआवजा 11258 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
70	SKT-283	शांतिलाल / देवराम —सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के पिता देवराम पिता छगन के नाम बी.डब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 187 पर राशि रु. 10577 एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश 27585 दिनांक 15.06.09 द्वारा आवेदक की अनुदान संबंधी मांग अमान्य की गई है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण से अमान्य	प्रकरण निरस्ती योग्य है।	
71	SKT-56-1	गंगाराम / धन्नालाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 59 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 3374 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः भूखंड नहीं दिया जा सकता।	
72	GOL-120	अक्षय / मनोहरलाल —गोलसैलानी / गोलसैलानी	मकान का अर्जन करने संबंधी	आवेदक की माता के नाम से अवार्ड गणना नंबर 89 पर राशि रु. 3731 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 9092 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक के मकान के संबंध में प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

73	GOL-88	गोकुल / प्यारा / गोल सैलानी	मुआवजा व अनुदान बाबत	पुनर्वास अनुदान 19513 का भुगतान किया गया। अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) खाता क्र० 27 पर कृषि भूमि का मुआवजा 7987	—	आवेदन निरस्ती योग्य	
74	GOL-87	विनोद / दिनकर / गोल सैलानी	मुआवजा व अनुदान बाबत	पुनर्वास अनुदान 84959 का भुगतान किया गया। अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) खाता क्र० 26 पर कृषि भूमि का मुआवजा 2549	—	आवेदन निरस्ती योग्य	
75	GOL-56	देवराम / मांगीलाल / गोल सैलानी	तीनों पुत्रों को अनुदान बाबत	अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. खाता क्र. 42 पर आबादी का मुआवजा 41024 दिया गया।	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम क्र० 27 पर दर्ज है परंतु पुत्रों के नाम दर्ज नहीं है	
76	GOL-99	देवेसिंह / रेवाराम —गोलसैलानी / गोलसैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम अवार्ड गणना नंबर 48 पर राशि रु. 14575 का भुगतान किया गया।	----	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 19650 दिनांक 15.06.09 से अमान्य किया गया। आवेदक के आवेदन के संबंध में लेख है कि, वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

77	GOL-935	नैनसिह / धन्नालाल -गौलसैलानी / गौलसैलानी	जमीन के बदले जमीन	आवेदक स्वयं के नाम अवार्ड गणना नंबर 95 पर जमीन का मुआवजा रु. 45941 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 89224 का भुगतान किया गया।	----	जमीन के बदले जमीन से संबंधित प्रकरण शिकायत निवारण प्रधिकरण में प्रचलित है।	
78	RIC-867	गिरधारी / धन्या -रिछफल / रिछफल	जमीन के बदले जमीन	आवेदक के कृषि भूमि अवार्ड गणना नंबर 1 पर राशि रु. 9512 एवं पुनर्वास अनुदान राशि रु 3169 का भुगतान किया गया।	----	जमीन के बदले जमीन से संबंधित प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण में प्रचलित है।	
79	GOL-83	भरतलाल / गणेशप्रसाद -गोलसैलानी / गोलसैलानी	एमडब्ल्यूएल में पानी की टंकी व पाईपलाईन छोड़ने बाबत।	----	----	आवेदक के आवेदन के संबंध में लेख है कि, प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
80	GOL-82	रविन्द्र / गणेशप्रसाद -गोलसैलानी / गोलसैलानी	एमडब्ल्यूएल में पानी की टंकी व पाईपलाईन छोड़ने बाबत।	----	----	आवेदक के आवेदन के संबंध में लेख है कि, प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

81	SKT-819	विष्णु / बट्टीप्रसाद -सक्तापुर / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता बट्टीप्रसाद के नाम से अवार्ड गणना नंबर 129 पर राशि रु. 11137 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 35112 दिनांक 29.10.09 से अमान्य किया गया।	
82	Gol-1206	मनोहरसिंह / भगवानसिंह / गोल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
83	SKT-899	भागवतीबाई / चामटा / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	शामिल खाते में अवार्ड क्र० 1 पर कृषि भूमि का मुआवजा 57050 रु० एवं वि०पु०अ० 138876 भुगतान किया गया है।	-	आवेदिका का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
84	SKT-795	गुड्डीबाई / बेरसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	पिता के नाम मकान का मुआवजा अवार्ड क्र० 169 पर 11821 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27389 दिनांक 11.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

85	SKT-294	काभाबाई / नत्थु / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत्।	अवार्ड क्र० 170 पर मकान का मुआवजा 10226 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27393 दिनांक 10.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
86	SKT-793	संजु / बेरसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत्।	पिता के नाम अवार्ड क्र० 169 पर मकान का मुआवजा 11821 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27388 दिनांक 11.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
87	SKT-792	बुधन / बेरसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत्।	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27405 दिनांक 11.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
88	SKT-790	संतराबाई / नत्थु / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत्।	आवेदिका की मां को अवार्ड क्र० 170 पर मकान का मुआवजा 10226 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27390 दिनांक 1.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
89	SKT-791	रामदास / नत्थु / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत्।	आवेदक की मां को अवार्ड क्र० 170 पर मकान का मुआवजा 10226 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27385 दिनांक 1.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

90	SKT-733	कल्याणसिंह / फुलसिंह / सक्तापुर	प्लॉट दिये जाने बाबत	—	जी0आर0ए0 के पालन में 93,000 रु0 पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया।	आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20,000 रु0 भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
91	SKT-627	प्रेमलाल / छगनलाल / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	—	जी0आर0ए0 के आदेश के पालन में 67500 रु0 पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया।	आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20,000 रु0 भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
92	GOL-64	नेमीचंद / प्रेमलाल / गोलसेलानी	घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि बीडब्यूएल गणना क 10 पर मुआवजा राशि 16893रु0 का भुगतान किया गया है। आवेदक के नाम से विशेष पुर्नवास गणना क.10 पर राशि 28रु0 का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुर्नवास अनुदान गणना क.23 पर 34350रु0 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का ग्राम मे मकान का अर्जन किया जा चुका है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	
93	Gol-129/1	सजनबाई / पदमसिंह / गोल सैलानी	जमीन डूब में आने के बाद बचे घर को अधिग्रहित करने बाबत।	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

94	SKT-1262	सावित्रीबाई / मोतीराम / सक्तापुर	मकान का मुआवजा 25000 से बनने पर पुनर्वास नीति की धारा-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	अवार्ड क्र० 57 पर मकान का मुआवजा 8385 रु० भुगतान किया गया ।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। पुनर्वास नीति की कंडिका 7.2 के तहत मकान के अंतर की राशि पाने की पात्रता नहीं है।	
95	SKT-1119	हीरालाल / तुलाराम / सक्तापुर	मकान का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	अवार्ड क्र० 75 पर मकान का मुआवजा 4275 रु० भुगतान किया गया ।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। पुनर्वास नीति की कंडिका 7.2 के तहत मकान के अंतर की राशि पाने की पात्रता नहीं है।	
96	SKT-1060	मन्नु / हब्बु, भील / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान व भूखंड प्रदाय करने बाबत	आवेदक की माता को अवार्ड एफ.आर.एल. क्र० 54 पर मकान का मुआवजा 6303 रु० भुगतान किया गया ।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

97	SKT-828	दुर्गाबाइ / चामटा / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	शामिल खाते में अवाई क्र० 1 पर कृषि भूमि का मुआवजा 57050 रु० एवं वि०पु०अ० 138876 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
98	SKT-1059	धरमचंद / कड़वा / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता को अवाई क्र० 168 पर मकान का मुआवजा 11258 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	
99	SKT-900	जमना / चामटा / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	शामिल खाते में अवाई क्र० 1 पर कृषि भूमि का मुआवजा 57050 रु० एवं वि०पु०अ० 138876 रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
100	SKT-86	झुरमुलबाई / चामटा / सक्तापुर	अनुदान मिलने बाबत	शामिल खाते में 57050 रु० मुआवजा एवं वि०पु०अ० 138876 रु० भुगतान किया गया	—	ग्राम सक्तापुर टापू के अंतर्गत आवेदिका का निवास न होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया। टापू अंतर्गत किसी का निवास न होने से परिवार सूची नही बनी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

101	Gol-129	भगवानसिंह / देवेशिंह / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
102	Gol-128/3	जितेन्द्र / भगवान / गोल सैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान की राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	---	---	परिवार सूची में नाम न होने के कारण। फार्म निरस्त किया जाता है।	
103	SKT-986	देवराम / बंकट / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 33 एफआरएल पर कृषि भूमि का मुआवजा 19799 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
104	SKT-994	अन्नु / बंकट / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 44 पर कृषि भूमि का मुआवजा 53596 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
105	SKT-391	लवकुश / शामु / सक्तापुर	मकान की अनुदान राशि नहीं मिलने बाबत	मुआवजा 15391 रु० दिया गया।	-	डूब क्षेत्र में निवास रत् नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

106	SKT-996	चंपालाल / गोपीचंद / सक्तापुर	अनुदान व प्लॉट देने बाबत	अवार्ड क्र० 69 पर कृषि भूमि का मुआवजा 60950 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	
107	SKT-1299	शांतीलाल / गोविंद-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 117 पर मकान का मुआवजा 12231 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
108	SKT-1056	कड़वाजी / बाबू / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 168 पर मकान का मुआवजा 11258 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	
109	SKT-1057	गोविंद / कड़वाजी / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 168 पर मकान का मुआवजा 11258 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	
110	SKT-796	मोहन / कैलाश / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	अवार्ड क्र० 191 पर मकान का मुआवजा 4349 रु० भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

111	SKT-90	कचनारबाई / चामटा / सक्तापुर	अनुदान मिलने बाबत	शामिल खाते में 57050 रु० मुआवजा एवं वि०पु०अ० 138876 रु० दिया गया।	—	ग्राम सक्तापुर टापू के अंतर्गत आवेदिका का निवास न होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। टापू अंतर्गत किसी का निवास न होने से परिवार सूची नहीं बनी है।	
112	SKT-230	लिला / शिवराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत		जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27407 आदेश दिनांक 1.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
113	SKT-176	मोहन / सिलदार / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27403 आदेश दिनांक 01.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
114	SKT-183	देवीसिंह / बावलया / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
115	SKT-245	गुलाबचंद / बुद्धया / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत	—	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

116	SKT-244	शेलेन्दर / बुद्धया / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
117	SKT-233	रामसिंह / शिवराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27382 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
118	SKT-247	गोपीचंद / गुलाबचंद / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
119	SKT-231	रामलाल / शिवराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27406 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
120	SKT-248	रूपेश / बुध्या / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
121	SKT-229	शिवराम / बालजी / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27377 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

122	GOL-1	संतोष / कमल-गोलसेलानी / गोलसेलानी	विशेष अनुदान प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से निजी भुमि बीडब्युएल गणना क्र.41 पर 38905 रू० का भुगतान किया गया है। आवेदक के पिता को पुर्नवास गणना क्र. 65 पर 42500 रू० का भुगतान किया गया है।	-	ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्र.26 पर आवेदक की उम्र 16वर्ष अंकित है तथा आवेदक को विशेष अनुदान की पात्रता नहीं आती। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	
123	SKT-226-3	दरजा / जोगडिया / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27412 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
124	SKT-184	नर्मदा / देवीसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
125	SKT-185	नीला / देवीसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता को अवाई गणना नंबर 175 पर राशि रू. 8229 का भुगतान किया गया।	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
126	SKT-224	सुतार / काशीराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

127	SKT-232	जगदिश / शिवराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27378 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
128	GOL-108	भागवतीबाई / दयाराम—गोलसेलानी / गोलसेलानी	शेष बचे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदिका के नाम से एफआरएल कृषि भूमि गणना अवार्ड क्र. 26 पर राशि 76485रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	
129	SKT-1296	सुगनबाई / धन्नालाल—सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	पिता को मकान का मुआवजा 10736 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदिका का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
130	SKT-178	बिरमल / मिट्टु / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27380 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
131	SKT-180	गेंदालाल / मिट्टु / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27383 आदेश दिनांक 1. 06.07 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

132	SKT-181	अमरसिंह / मिट्टु / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता को अवाई गणना नंबर 209 पर राशि रु. 10033 का भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	—
133	GOL-118	धर्मेन्द्रसिंह / गुलाब—गोलसेलानी / गोलसेलानी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से आबादी गणना क्र. 37 पर मुआवजा राशि 148873रु० का भुगतान किया गया। आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 23 पर राशि 68000रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक ग्राम गोयड़ा इंधावड़ी और बीड़ में आवेदन कर सकता है।	—
134	SKT-246	भारती / बुध्या / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	—
135	GOL-109	मयाराम / गणपत—गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से बीडब्युएल आबादी गणना क्र. 15 पर राशि 157960रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुनर्वास गणना क्र. 9 पर राशि 9350रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का ग्राम में मकान का अर्जन किया जा चुका है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

136	SKT-221	राधेश्याम / खुश्याल / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 21050 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
137	GOL-103	रमेश / गजराज—गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि गणना अवार्ड क्र. 48 पर राशि 139305रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को विशेष पुनर्वास अनुदान गणना क्र.48 पर 45218रु० का भुगतान किया गया है। शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से पुनर्वास अनुदान क्र. 5 पर आवेदक को 18700 रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम मे मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	—
138	GOL-102	नानीबाई / राजाराम / गोलसेलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा—1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के नाम से कृषि भूमि गणना अवार्ड क्र. 49 पर राशि 198821रु० का भुगतान किया गया है। आवेदिका को विशेष पुनर्वास अनुदान गणना क्र.49 पर 56054रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदिका का ग्राम मे मकान का अर्जन किया जा चुका है अतः आवेदक का आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

139	GOL-10	मोहन / किशनलाल-गोलसेलानी / गोलसेलानी	मकान का मुआवजा 25000 से बनने पर पुनर्वास नीति की धारा-7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक आबादी भूमि बीडब्युएल गणना क्र.19 पर आवेदक के नाम से 16996रु० का भुगतान किया गया है। पुनर्वास गणना क्र. 26 पर 42500रु० का भुगतान किया गया है।	-	घर का मुआवजा 25,000 रु० से अधिक दिया जा चुका है, पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। आवेदन निरस्त योग्य है।	-
140	SKT-182	जामसिंह / बिरमल / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	-	डूब क्षेत्र में आवेदक का निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	-
141	SKT-177	रामू / सिलदार / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	-
142	SKT-249	त्रिलोकचंद / बुध्या / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान व प्लॉट देने बाबत	-	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	-
143	GOL-114	राधेश्याम / शेरसिंह-गोलसेलानी / गोलसेलानी	मेरे घर का भूअर्जन करने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि गणना अवार्ड क्र. 65 पर राशि 21909रु० का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक के नाम से ग्राम में मकान का अर्जन नहीं हुआ तथा आवेदक का आवेदन प्रस्तावित विभाग से संबंधित है।	-

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

144	SKT-195	ध्यानसिंह / गुलसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27434 आदेश दिनांक 15.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
145	SKT-202	हुरियाबाई / भावल्या / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत व मकान की राशि बढ़ाकर देने बाबत	—	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नही होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
146	SKT-201	काशीराम / नानकराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27423 आदेश दिनांक 15.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
147	SKT-200	चम्पालाल / नानकराम -सक्तापुर / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से अवार्ड गणना नंबर 207 पर राशि रु. 8272 का भुगतान किया गया।	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नही होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
148	SKT-199	संगीता / नानकराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27422 आदेश दिनांक 15.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

149	SKT-198	रामदास / नानकराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27421 आदेश दिनांक 15.05.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
150	SKT-223	दरजा / जोगड़िया / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27373 आदेश दिनांक 15.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
151	SKT-196	रमेश / ध्यानसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27381 आदेश दिनांक 15.05.06 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
152	SKT-205	करणसिंह / भावल्या / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
153	SKT-194	केरसिंह / गुलाबसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27400 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

154	SKT-193	जयसिंह / गुलाबसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27401 आदेश दिनांक 1.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
155	SKT-192	सुनीता / हमला / सक्तापुर	अनुदान व प्लाट देने बाबत	—	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं बनती।	
156	SKT-191	अमला / गुलाबसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	जी.आर.ए. के आदेशानुसार 43700 रु० भुगतान किया गया।	जी.आर.ए. का पालन किया गया।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
157	SKT-190	रूपसिंह / आनंदराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक के माँ के नाम से अवार्ड गणना नंबर 174 पर राशि रु. 6189 का भुगतान किया गया।	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
158	SKT-189	फुलसिंह / आनंदराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक के माँ के नाम से अवार्ड गणना नंबर 174 पर राशि रु. 6189 का भुगतान किया गया।	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
159	SKT-197	नानकराम / बालजी / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27419 आदेश दिनांक 10.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

160	SKT-211	इमानसिंह / सोमला / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत मकान की राशि बढ़ाकर देने बाबत	मकान का मुआवजा 4720 रु० भुगतान किया गया।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27398 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
161	Gol-95	रमेश / नथू / गोल सैलानी	जमीन के बदले जमीन न लेकर नगद भुगतान देने के संबंध में।	---	---	नगद राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त किया जाता है।	
162	SKT-187	अन्नपूर्णा / देवीसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता को अवाई गणना नंबर 175 पर राशि रु. 8229 का भुगतान किया गया।	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नही होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
163	SKT-219	समिताबाई / कैलाश / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नही होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
164	SKT-218-3	जगदीश / कैलाश / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27433 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

165	SKT-215	सायना / गंगाराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27396 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
166	GOL-	बसंत / रामलाल गीते-गोलसेलानी / गोलसेलानी	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को कृषि अवार्ड गणना क्र. 37 पर 464881 रू० का मुआवजा दिया गया है।	-	आवेदक पुनर्वास स्थल ग्राम गोयड़ा इंधावड़ी एवं बीड के लिये आवेदन कर सकता है।	-
167	SKT-203	संजु / परनारिया / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक की दादी मों को अवार्ड गणना नंबर 125 पर राशि रू. 13983 का भुगतान किया गया।	-	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है आवेदन निरस्ती योग्य है।	
168	SKT-212	नवलसिंह / सोमला / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
169	SKT-204	नीलाबाई / परनारिया / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	
170	SKT-210	थावलीबाई / सिलदार / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	-	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

171	SKT-209	प्रेमसिंह / सिलदार / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27409 आदेश दिनांक 10.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
172	SKT-208	मेहताप / सिलदार / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27408 आदेश दिनांक 10.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
173	SKT-207	एडू / सिलदार / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27411 आदेश दिनांक 1.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
174	SKT-206	दौलतसिंह / सिलदार / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27410 आदेश दिनांक 1.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
175	SKT-186	विनयसिंह / देवीसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता को अवाई गणना नंबर 175 पर राशि रु. 8229 का भुगतान किया गया।	—	आवेदक का डूब क्षेत्र में निवास नही होने से आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

176	Gol-98	महेशसिंह / गुलाबसिंह / गोल सैलानी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्रं.-55 रु० 68000 दी जा चुकी है।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
177	SKT-285	सुमेर / देवराम -सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के पिता देवराम पिता छगन के नाम बी.डब्ल्यू. एल. अवार्ड गणना नंबर 187 पर राशि रु. 10577 एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश 27586 दिनांक 10.06.09 द्वारा आवेदक की अनुदान संबंधी मांग अमान्य की गई है।	----	प्रकरण निरस्ती योग्य है।	
178	SKT-179	मिट्टु / खजान / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27384 आदेश दिनांक 15.05.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
179	SKT-1300	भैयालाल / गोविंद-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 116 पर मकान का मुआवजा 9936 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

180	SKT-1301	गोविंद / बाबू-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 117 पर मकान का मुआवजा 12231 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
181	Gol-142	मनोहर / भगवानसिंह / गौल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
182	Gol-142/1	करणसिंह / झवरसिंह / गोल सैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
183	SKT-1297	महेश / धन्नालाल-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	पिता को 10736 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
184	Gol-148	भगवान / दयाराम / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

185	GOL-47	कुसुमबाई / धन्नालाल / गोल सैलानी	पुनर्वास अनुदान बाबत	—	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 20069 दिनांक 18.6.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास अनुदान की मांग खारिज की जा चुकी है।	आवेदिका के मकान का अर्जन उसके देवर राजाराम के नाम से हुआ है। जी०आर०ए० से आवेदिका का अनुदान सम्बंधी आवेदन अमान्य किया गया है।	—
186	GOL-160	मंगला / कोलू-गोलसेलानी / गोलसेलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम आबादी गणना क्र.38 पर मकान की मुआवजा राशि 76824रु० का भुगतान किया गया है। तथा पुर्नवास अनुदान गणना क्र. 57 पर 68000रु० का भुगतान किया गया है।	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची क्र 24 मे आवेदिका की उम्र 14 वर्ष अंकित है अतः आवेदिका को विशेष अनुदान 2.5 लाख की पात्रता नही आती है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	—
187	GOL-158	नंदु / कोलू-गोलसेलानी / गोलसेलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम आबादी गणना क्र.38 पर मकान की मुआवजा राशि 76824रु० का भुगतान किया गया है।	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची मे आवेदक का नाम अंकित नही है अतः आवेदक को विशेष अनुदान 2.5 लाख की पात्रता नही आती है। अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	—

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

188	GOL-154	शंकर / हरिलाल-गोलसेलानी / गोलसेलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को निजी भूमि बीडब्यूएल गणना क्र. 18 पर 73004 रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 79 पर 18700 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है इसलिये वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	—
189	Gol-153	कड़वा / मांगीलाल / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
190	RIC-251	नानकराम / गेंदालाल / रिछफल	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	—	परिवार सूची के प्रथम प्रकाशन में आवेदक नानकराम पिता गेंदालाल का नाम जशोदाबाई के परिवार में बालिग पुत्र के रूप में दर्ज होने से आवेदक के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर परीक्षण उपरांत पुनर्वास अनुदान की कार्यवाही की जाएगी।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

191	RIC-252	सुशिलाबाई / गेंदालाल / रिछफल	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	-	-	परिवार सूची के प्रथम प्रकाशन में आवेदिका सुशिलाबाई पिता गेंदालाल का नाम जशोदाबाई के परिवार में बालिग पुत्र के रूप में दर्ज होने से आवेदक के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर परीक्षण उपरांत पुनर्वास अनुदान की कार्यवाही की जाएगी।	
192	Gol-144	रामचन्द्र / प्यारा / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
193	SKT-360	नरेन्द्रसिंह / प्रतापसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान एवं मुआवजा बाबत	अवार्ड क्र० 171 पर मकान का मुआवजा 8821 रु० दिया गया।	-	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
194	SKT-379	चमरीबाई / भावल्या / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 224 पर 270 रु० कच्ची टपरी का मुआवजा दिया गया।	-	डूब क्षेत्र में निवासरत् नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
195	SKT-378	सुरेश / राजाराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 218 पर मुआवजा 14954 रु० भुगतान किया गया।	-	डूब क्षेत्र में निवासरत् नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

196	SKT-377	दयाराम / बहादुरसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 42 पर 11464 रु० मुआवजा दिया गया	—	डूब क्षेत्र में निवासरत् नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	
197	SKT-376	मयाराम / बहादुरसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 43 पर मकान का मुआवजा 12111 रु० भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवासरत् नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	
198	SKT-363	चैनसिंह / बख्तावरसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान बाबत	अवार्ड क्र० 180 पर मकान का मुआवजा 13088 रु० भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
199	GOL-1280	मुकेश / रामलाल -गौलसैलानी / गौलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता रामलाल के नाम से अवार्ड गणना नंबर 57 पर राशि रु. 498607 का भुगतान किया गया।	----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नही होने से अनुदान की पात्रता नही बनती है	
200	SKT-361	कैलाश / गोपाल / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 105 पर 6007 रु० मुआवजा दिया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवासरत् न होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया।	
201	SKT-1491	चंद्रशेखर / शिवजी / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	मां के नाम अवार्ड क्र० 183 पर मकान का मुआवजा 39882 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

202	SKT-340	कड़वीबाई / भुवानीराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान व प्लॉट बाबत	अवार्ड क्र० 212 पर मुआवजा 9197 रू० दिया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
203	SKT-321	प्रदीप / ज्ञानचंद / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
204	SKT-320	संदीप / ज्ञानचंद / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान बाबत	—	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
205	SKT-319	ज्ञानचंद / घासीराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 153 पर मकान का मुआवजा 5282 रू० दिया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
206	Gol-139	कड़वा / नत्थु / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
207	SKT-1295	मदन / धन्नालाल-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा/पुनर्वास अनुदान एवं भूखंड बाबत	आवेदक के पिता को मकान का मुआवजा 10736 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
208	SKT-362	मनोरमाबाई / हमीरसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 177 पर मकान का मुआवजा 11238 रू० दिया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

209	Gol-359/1	किशन / मांगीलाल / टोकी	जमीन डूब में आने के बाद बचे घर को अधिग्रहित करने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
210	SKT-1302	रामलाल / नन्नू-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक का आवेदन प्रकरण क्र 29440 दिनांक 12.03.09 से अमान्य किया गया।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
211	GOL-145	सुमनबाई / मंगु-गोलसेलानी / गोलसेलानी	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के संयुक्त खाते में बीडब्युएल आबादी गणना क्र. 40 पर 125240रु० का भुगतान किया जा चुका है।	-	आवेदिका के शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से प्रकरण क्र. 18528 आदेश दिनांक 15.6.09 के अनुसार आवेदन निरस्त किया गया है।	-

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

212	GOL-141	जगदीश / गुलाबचंद—गोलसेलानी / गोलसेलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को ओल्ड एफआरएल कृषि गणना क्र. 3 पर 198002 रु० का भुगतान किया गया है। आबादी गणना क्र. 18 पर 11778रु० का भुगतान किया गया है। आवेदक को पुनर्वास अनुदान क्र. 25 पर 9350 का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है एवं ओल्ड एफआर एल कृषि गणना का लाभ भी दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	—
213	GOL-13	नाथू / प्रेमा—गोलसेलानी / गोलसेलानी	मकान का मुआवजा 25000 से बनने पर पुनर्वास नीति की धारा—7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को आबादी गणना क्र. 22 पर 5671रु० का भुगतान किया जा चुका है। अपर संचालक पुनर्वास अनुदान गणना क्र.4 पर 112329रु० का भुगतान किया गया है।	—	घर का मुआवजा 25,000 रु० से अधिक का भुगतान किया गया है एवं पुनर्वास अनुदान की राशि का भुगतान भी किया गया तथा आवेदक को कंडिका 7.2 के अंतर की राशि की पात्रता नहीं बनती अतः आवेदन निरस्त योग्य है।	—
214	Gol-162	मीराबाई / बेवा रामलाल / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा—1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	---	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

215	RIC-250	महेश / गेंदालाल / रिछफल	पुनर्वास अनुदान बाबत	—	—	परिवार सूची के प्रथम प्रकाशन में आवेदक महेश पिता गेंदालाल का नाम जशोदाबाई के परिवार में बालिग पुत्र के रूप में दर्ज होने से आवेदक के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर परीक्षण उपरांत पुनर्वास अनुदान की कार्यवाही की जाएगी।	
216	Gol-359	संतोष / कमलचंद / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	—	—	18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है।	
217	SKT-1336	जगन / गोपीचंद-सक्तापुर / सक्तापुर	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत	—	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
218	Gol-73	प्रमोद / रघुनाथ / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

219	Gol-90	रघुनाथसिंह / बाबूसिंह / गोल सैलानी	जमीन के बदले जमीन न लेकर नगद भुगतान करने की मांग।	---	---	नगद राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
220	Gol-91	सरदारसिंह / हिम्मतसिंह / गोल सैलानी	जमीन के बदले जमीन न लेकर नगद राशि प्राप्त करने बाबत्।	---	---	नगद राशि देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
221	GOL-126	कैलाश / घीसाजी-गोलसेलानी / गोलसेलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के संयुक्त नाम से आबादी गणना क्र.39 पर 52725रु० का भुगतान किया गया है। तथा आवेदक को पुर्नवास अनुदान गणना क्र.62 पर 68000रु० का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	-
222	GOL-124	श्यामलाल / झापू-गोलसेलानी / गोलसेलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	निजी भुमि बीडब्युएल गणना क्र.30 पर आवेदक के नाम से 89948रु० का भुगतान किया गया है। पुर्नवास गणना क्र. 96 पर 42500रु० का भुगतान किया गया है।	-	आवेदक को पुर्नवास अनुदान नियमानुसार आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	-

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

223	GOL-121	राकेश / गुलाब-गोलसेलानी / गोलसेलानी	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता के नाम से आबादी गणना क्र. 37 पर मुआवजा राशि 148873रु० का भुगतान किया गया। आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना क्र. 23 पर राशि 68000रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक ग्राम गोयड़ा इंधावड़ी और बीड़ में आवेदन कर सकता है।	
224	Gol-164	कैलश / धन्या / गोल सैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	—	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
225	SKT-1373	रतन / किशन-सक्तापुर / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 30 पर कृषि भूमि का मुआवजा 54971 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश के पालन में 43700 रु० भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० से मान्य	आवेदन निरस्त योग्य है।	
226	SKT-380	निहालीबाई / बोंदरसिंह / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 41 पर मकान का मुआवजा 6557 रु० दिया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवासरत् नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

227	SKT-1473	कमलसिंह / जुगरतसिंह / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 182 पर मकान का मुआवजा 6118 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
228	SKT-1467	चंद्रवलीसिंह / नारायण / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 23 पर कृषि भूमि का मुआवजा 26042 रु० भुगतान किया गया है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 19473 दिनांक 27.02.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
229	SKT-1425	गणेश / छगन / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 144 पर मकान का मुआवजा 6151 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश के पालन में 93000 रु० पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० से मान्य	आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया। एवं पुनर्वास अनुदान का भी भुगतान किया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
230	SKT-1407	चंद्रवलीसिंह / नारायण / सक्तापुर	अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	—	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29473 दिनांक 27.02.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

231	SKT-1376	राधेश्याम / रतन / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 15 मकान का मुआवजा पर 71784 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश के पालन में आवेदक को 43700 रु० पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० से मान्य	आवेदन निरस्त योग्य है।	
232	SKT-1303	छोगालाल / बाबु-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29429 दिनांक 12.03.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
233	SKT-1374	रूपाबाई / श्यामलाल-सक्तापुर / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 85 पर मकान का मुआवजा 18459 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदिका का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
234	SKT-1335	भाईराम / बंकट-सक्तापुर / सक्तापुर	भूमिहीन के रूप में अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 34 पर कृषि भूमि का मुआवजा 27132 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

235	SKT-1372	अनुसुईयाबाई / दगडू-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदिका के पति को अवार्ड क्र० 51 पर मकान का मुआवजा 39346 रु० भुगतान किया गया।		डूब क्षेत्र में मकान व निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
236	SKT-1371	मिश्रीलाल / गोपाल / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 79 पर मकान का मुआवजा 6867 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
237	SKT-1370	बुंदाबाई / दंडु-सक्तापुर / सक्तापुर	मकान का मुआवजा अनुदान व प्लॉट प्रदान करने बाबत	अवार्ड क्र० 93 पर मकान का मुआवजा 11107 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदिका का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
238	Gol-157	गजराजसिंग / मोतीराम / गोल सैलानी	पुनर्वास नीति की धारा 2.3 के अंतर्गत टापू में आने बाबत।	—	—	ग्राम गोल सैलानी बीडब्ल्यूएल प्रदान गाँव है इसमें केवल आबादी का कुछ अंश प्रभावित होता है। टापू की स्थिति नहीं बनती आवेदन निरस्त योग्य है।	
239	SKT-1337	छोगालाल / गोपीचंद / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में अनुदान दिये जाने बाबत।	—		डूब क्षेत्र में मकान नहीं होने से भूमिहीन परिवार के रूप में अनुदान नहीं दिया जा सकता। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

240	SKT-1492	राजकुमार / शिवजी / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक की मां को अवार्ड क्र० 183 पर मकान का मुआवजा 39882 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
241	SKT-1375	मोहन / भीकाजी-सक्तापुर / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	अवार्ड क्र० 86 पर 18459 रु० मुआवजा भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
242	SKT-1039	रामकरण / सुकराम / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक की माता को अवार्ड क्र० 60 (एफ.आर.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6865 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
243	SKT-1634	अन्नपूर्णा / देवीसिंह-सक्तापुर / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 175 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 8229 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

244	SKT-1586	दयाराम / ध्यानाजी / सक्तापुर	मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल क्र० 76 पर कृषि भूमि पर स्थिति मकान का मुआवजा 7826 रू० भुगतान किया गया।		आवेदक को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
245	SKT-1261	मोहन / मोती / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 24 (एफ.आर.एल) पर कृषि भूमि का मुआवजा 153990 रू० भुगतान किया गया। शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 28703 दिनांक 19.03.09 के पालन में आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि 18700 रू० भुगतान की गई।	जी०आर०ए० के आदेश का पालन किया गया।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। इसलिए कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	
246	SKT-1264	रमेश / सीताराम / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 88 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 57723 रू० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी.डब्ल्यू.एल. 6 पर 93000 रू० भुगतान किया गया है।		इनपुन पुनर्वास स्थल पर भूखंड उपलब्ध नहीं है। आवेदक अन्य पुनर्वास स्थल गुयड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

247	SKT-1219	रामसिंह / नान्या / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 94 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 122777 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
248	SKT-279	रामरतन / धनाजी -सक्तापुर / सक्तापुर	जमीन के बदले जमीन एवं मुआवजा राशि	आवेदक का बी.डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 189 पर राशि रु. 4235 भुगतान किया गया	---	जमीन के बदले जमीन से संबंधित प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण में प्रचलित है।	
249	SKT-1041	फकीरा / कुंवरजी / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 70 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 156580 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश क्र० 28688/29467 दिनांक 24.03.09 के पालन में कंडिका 6.1 की राशि 18700 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को पुनर्वास अनुदान का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए कंडिका 7.1 की पात्रता नहीं आती है।	
250	RIC-859	सुखदेव / कन्हैया / रिछफल	मकान का मुआवजा, अनुदान प्लॉट मिलने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 28 पर मकान की मुआवजा राशि 9352 रु० भुगतान की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28462 दिनांक 12.03.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	आवेदक को मकान का मुआवजा दिया गया है। जी०आर०ए० के आदेश के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

251	SKT-1013	मंगत्या / नान्या / सक्तापुर	प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल क्र० 90 पर कृषि भूमि पर स्थिति मकान का मुआवजा 14128 रू० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29469 दिनांक 27.02.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	जी०आर०ए० के आदेश के पालन में आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है। प्लॉट की पात्रता नहीं आती है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
252	KAM-24	कन्हैया / मल्लपुरी / कामनखेड़ा	मकान अर्जन के संबंध में	---	---	आवेदक के आवेदन के संबंध में लेख है कि, प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से मकान के संबंध म से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
253	SKT-287	बंशीलाल / गोकुल -सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के पिता गोकुल के नाम से बीडब्ल्यूएल. अवार्ड गणना नंबर 128 पर राशि रू. 5611 भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण से अमान्य	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश 27578 दिनांक 15.06.09 द्वारा आवेदक की अनुदान संबंधी मांग अमान्य की गई है। प्रकरण निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

254	SKT-273	गौरीशंकर / मोहनसिंह-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत्।	आवेदक के पिता मोहनसिंह के नाम से डूब क्षेत्र में बनाये गये मकान का मुआवजा बी. डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 8 पर राशि रु. 54033 का भुगतान किया गया आवेदक को शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश क्र 29427 दिनांक 27.02.09 के पालन में 43700 का भुगतान किया गया जिसमें भूखंड की राशि रु. 20000 शामिल है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
255	SKT-272	रमेशसिंह / मोहनसिंह-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत्।	आवेदक के पिता मोहनसिंह के नाम से डूब क्षेत्र में बनाये गये मकान का मुआवजा बी. डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 8 पर राशि रु. 54033 का भुगतान किया गया आवेदक को शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश क्र 29439 दिनांक 27.02.09 के पालन में 43700 का भुगतान किया गया जिसमें भूखंड की राशि रु. 20000 शामिल है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

256	SKT-271	यशवंतसिंह / दुर्गासिंह –सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक की माँ ताराबाई पति दुर्गासिंह के नाम से ग्राम सक्तापुर बी.डब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 173 पर डूब क्षेत्र में बनाये गये कच्चे मकान की मुआवजा राशि रु. 24939 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 29458 दिनांक 12.03.09 से आवेदक का आवेदन अमान्य किया गया अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
-----	---------	---------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

257	SKT-1043	प्रेमलाल / किशन / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 83 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 21704 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29462 दिनांक 12.03.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है। इसलिए कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट की पात्रता नहीं आती है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
-----	----------	----------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

258	SKT-1624	समरी / दगडु-सक्तापुर / सक्तापुर	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 45 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 19738 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
-----	----------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

259	GOL-1278-1	गहनाबाई / नत्थूसिंह –गोलसैलानी / गोलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अवेदिका को अवार्ड गणना नंबर 61 पर राशि रु. 49693/- का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
-----	------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

260	SKT-1632	नर्मदा / देवीसिंह / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अर्वाड क्र० 175 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 8229 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
261	SKT-1630	विजयसिंह / देवीसिंह-सक्तापुर / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अर्वाड क्र० 175 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 8229 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	-
262	SKT-1629	देवीसिंह / बावलया-सक्तापुर / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक को अर्वाड क्र० 175 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 8229 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
263	SKT-1628	प्रतापसिंह / सागरसिंह-सक्तापुर / सक्तापुर	अनुदान मिलने बाबत	आवेदक को घोघलगांव में अर्वाड क्र० 98 पर कृषि भूमि का मुआवजा 330844 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

264	SKT-	मनोज / दुलीचंद — सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत्।	आवेदक के पिता दुलीचंद को कृषि भूमि अवार्ड गणना नंबर 199 पर कृषि भूमि पर बनाये गये मकान का मुआवजा राशि रु. 6852 का भुगतान किया गया	---	आवेदक डूब क्षेत्र में निवासरत् न होने से अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नहीं बनती है।	
265	SKT-1625	केसिया / दगडु—सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत्।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 45 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 19738 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
266	SKT-269	बृजराजसिंह / दुर्गासिंह —सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत्।	आवेदक की माँ ताराबाई पति दुर्गासिंह के नाम से ग्राम सक्तापुर बी.डब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 173 पर डूब क्षेत्र में बनाये गये कच्चे मकान की मुआवजा राशि रु. 24939 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
267	SKT-1623	रामदास / दगडु—सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत्।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 45 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 19738 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

268	SKT-1622	रूसनिया / भूना / सक्तापुर	मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अवाईड क्र० 40 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 169039 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 43700 रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। आवेदक को प्लॉट के बदले नगद राशि 20,000 रु० भुगतान की जा चुकी है।	
269	SKT-1621	रेमसिंह / रूशनिया / सक्तापुर	मुआवजा पुनर्वास, अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अवाईड क्र० 4 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि का मुआवजा 1484 रु० एवं वि०पु०अ० 3652 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान क्र० 10 पर 43700 रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20000 रु० भुगतान की जा चुकी है, अब प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	
270	SKT-1600	लाइसिंग / नरवतसिंग / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान बाबत	आवेदक के पिता को अवाईड क्र० 65 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 7930 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा दिया गया है। आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत							
271	GOL-1030	केशरबाई / रामसिंह —गौलसैलानी / गौलसैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत	आवेदिका के नाम से अवाई गणना नंबर 40 पर राशि रु. 125240 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 18529 दिनांक 15.06.09 से अमान्य किया गया।	
272	GOL-1029	गुलाबबाई / रामचंद्र —गौलसैलानी / गौलसैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका को संयुक्त रूप से आबदी अवाई गणना नंबर 40 पर राशि रु. 125240 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 18527 दिनांक 16.06.09 से अमान्य किया गया। अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
273	GOL-1031	सेवकराम / गुलाबचंद्र —गौलसैलानी / गौलसैलानी	मेरे मकान का अर्जन करने बाबत।	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल अवाई गणना नंबर 17 पर राशि रु. 45034 मकान का भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान गणना क्र० 24 पर 9350 रु० भुगतान किया गया है।	---	आवेदक के मकान का अर्जन किया जाकर समुचित एवं नियमानुसार मुआवजा है।	
274	RIC-1005	मंशाराम / शिवराम—रिछफल / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	—		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

275	RIC-1033	जगदीश / छतरसिंह / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	-		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
276	RIC-1010	राधेश्याम / एड़िया / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक बी.डब्ल्यूएल को क्र० 39 पर कृषि भूमि का मुआवजा 29186 रु० भुगतान की गई।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
277	RIC-717	श्यामसुंदर / फत्तु / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यूएल पर मुआवजा राशि 22259 रु० भुगतान की गई।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
278	RIC-718	फत्तु / कन्हैया / रिछफल	प्लॉट व भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यूएल पर मुआवजा राशि 22259 रु० भुगतान की गई।	जी०आर०ए० के आदेश के पालन में पुनर्वास अनुदान राशि 43700 रु० भुगतान की गई।	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये के प्रावधान नहीं है। आवेदक को प्लॉट के बदले नगद राशि भुगतान की जा चुकी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

279	RIC-729	हुकुम / सुखराम / रिछफल	जमीन के बदले जमीन या भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को क्र० 11 पर कृषि भूमि का 33918 रु० व वि०पु०अ० 506 रु० भुगतान की गई। शामिल खाते में कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल 5 पर मुआवजा राशि 1244 रु० व वि०पु०अ० 1321 रु.भुगतान की गई।		खातेदार के द्वारा मुआवजा व वि०पु०अ० की 50 प्रति० राशि जमा कराने पर जमीन के बदले जमीन के आवेदन पर विचार किया जाएगा।	
280	SKT-286	बसंत / गोकुल -सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत्।	आवेदक के पिता गोकुल के नाम से बीडब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 128 पर राशि रु. 5611 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नहीं बनती है।	
281	RIC-1006	कालु / करसन / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्। व प्लॉट बाबत	-		परिवार सूची में नाम नहीं होने से प्लॉट की पात्रता नहीं है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

282	RIC-1036	बबलु / रुमालसिंह / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	-		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है। आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
283	RIC-871	महिपाल / ओंकार / रिछफल	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	-		आवेदक को पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है, अतः कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं है।	
284	RIC-930	सपना / कोमलसिंह / रिछफल	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता को बी. डब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 31 पर मकान का मुआवजा राशि 9203 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	
285	RIC-929	कोमल / सबलसिंह / रिछफल	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक को आबादी अवार्ड क्र० 31 पर मकान का मुआवजा राशि 9203 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

286	RIC-872	रुखमाबाई / ओंकार / रिछफल	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	—		आवेदक को पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया है, अतः कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं है।	
287	SKT-289	दीपक / गोकुल -सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के पिता गोकुल के नाम से बीडब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 128 पर राशि रु. 5611 भुगतान किया गया।	----	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नहीं बनती है।	
288	SKT-290	देवराम / छगन - सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के नाम से बी. डब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 187 पर मुआवजा राशि रु. 10577 का भुगतान किया गया। शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश 27582 दिनांक 15.06.09 द्वारा आवेदक की अनुदान संबंधी मांग अमान्य की गई है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के पारित मान्य आदेश का पालन किया गया।	प्रकरण निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

289	RIC-727	शिवकरण / मोतीराम / रिछफल	जमीन के बदले जमीन या भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को क्र० 7 पर कृषि भूमि का मुआवजा 3416 रु० व वि०पु०अ० 6842 रु० भुगतान की गई।		शामिल खाते के समस्त खातेदारों के द्वारा मुआवजा व वि०पु०अ० की 50 प्रति० राशि जमा कराने पर जमीन के बदले जमीन के आवेदन पर विचार किया जाएगा। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
290	SKT-265	महेश / दुलीचंद – सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत्।	आवेदक के पिता दुलीचंद को कृषि भूमि अवार्ड गणना नंबर 199 पर कृषि भूमि पर बनाये गये मकान का मुआवजा राशि रु. 6852 का भुगतान किया गया	---	आवेदक डूब क्षेत्र में निवासरत् न होने से अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नहीं बनती है।	
291	SKT-1635	फूलसिंह / आनंदराम / सक्तापुर	मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत्।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 174 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6189 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

292	SKT-268	प्रजापालसिंह / दुर्गासिंह –सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक की माँ ताराबाई पति दुर्गासिंह के नाम से ग्राम सक्तापुर बी.डब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 173 पर डूब क्षेत्र में बनाये गये कच्चे मकान की मुआवजा राशि रु. 24939 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
293	SKT-267	शिवराजसिंह / दुर्गासिंह –सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक की माँ ताराबाई पति दुर्गासिंह के नाम से ग्राम सक्तापुर बी.डब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 173 पर डूब क्षेत्र में बनाये गये कच्चे मकान की मुआवजा राशि रु. 24939 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 29459 दिनांक 12.03.09 से आवेदक का आवेदन अमान्य किया गया अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
294	SKT-266	नमिता / दुलीचंद – सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदिका के पिता दुलीचंद को कृषि भूमि अवार्ड गणना नंबर 199 पर कृषि भूमि पर बनाये गये मकान का मुआवजा राशि रु. 6852 का भुगतान किया गया	---	आवेदिका डूब क्षेत्र में निवासरत् न होने से अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नहीं बनती है।	
295	RIC-866	धापुबाई / अनारसिंह / रिछफल	घर का भूअर्जन करने बाबत	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल अवार्ड क्र० 20 पर मकान का मुआवजा राशि 8213 रु० भुगतान की गई।	-	घर का भूअर्जन कर मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

296	RIC-87-3	कस्तुरी / सुखदेव / रिछफल	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 28 पर मकान का मुआवजा राशि 9352 रू० भुगतान की गई।	जी०आर०ए० के आदेश क्र 28462 दिनांक 13.3.09 से आवेदक के पिता की पुनर्वास अनुदान की मांग अमान्य की जा चुकी है।	जी०आर०ए० के आदेश के पालन में आवेदिका के पिता की पुनर्वास अनुदान की मांग खारिज की जा चुकी है।	
297	RIC-1034	छतरसिंह / भीमसिंह / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	पुनर्वास अनुदान राशि गणना क्र० 1 पर 43700 रू० भुगतान की गई।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है। आवेदक का नाम परिवार सूची में पहले से है एवं पुनर्वास अनुदान दिया गया।	
298	SKT-288	गोकुल / फत्तू - सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा एवं भूखंड की मांग बाबत।	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के नाम से बीडब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 128 पर राशि रू. 5611 का भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण से अमान्य शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश 27577 दिनांक 11.06.09 द्वारा आवेदक की अनुदान संबंधी मांग अमान्य की गई है। अतः प्रकरण निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

299	RIC-1035	रूमालसिंह / भीमसिंह / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	पुनर्वास अनुदान राशि गणना क्र० 3 पर 93000 रु० भुगतान की गई।	—	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है। आवेदक का नाम परिवार सूची में पहले से है एवं पुनर्वास अनुदान दिया गया।	
300	RIC-725	चैनसिंह, मनोहरसिंह, धनसिंह / मंगल्या-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 2 पर मुआवजा राशि 10456 रु० एवं वि०पु०अ० राशि 11088 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
301	RIC-825	पप्पु / रामकिशन / रिछफल	मकान का मुआवजा, अनुदान प्लॉट मिलने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 2 पर मकान की मुआवजा राशि 8156 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। पुनर्वास अनुदान व प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

302	RIC-1073	सेवंतीबाई / लक्ष्मण / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	-		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है। आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
303	RIC-1071	ग्यारसीबाई / भाईराम / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	-		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है। आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
304	RIC-1037	अमीन / छतरसिंह / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	पुनर्वास अनुदान राशि गणना क्र० 2 पर 43700 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का नाम परिवार सूची में शामिल है एवं पुनर्वास अनुदान दिया गया।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

305	SKT-270	भुवानीसिंह / दुर्गासिंह –सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक की माँ ताराबाई पति दुर्गासिंह के नाम से ग्राम सक्तापुर बी.डब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 173 पर डूब क्षेत्र में बनाये गये कच्चे मकान की मुआवजा राशि रु. 24939 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती अतः आवेदन निरस्ती योग्य है।	
-----	---------	----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

306	RIC-89-4	संदीप / सुखदेव / रिछफल	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अवाड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 28 पर मकान का मुआवजा राशि 9352 रु० भुगतान की गई।	जी०आर०ए० के आदेश क्र० 28462 दिनांक 12. 3.09 से आवेदक के पिता की पुनर्वास की मांग निरस्त की जा चुकी है।	जी०आर०ए० के आदेशानुसार आवेदक के पिता की पुनर्वास की मांग निरस्त की जा चुकी है।	
-----	----------	------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--

307	RIC-1612	चंदु / शिवाजी / रिछफल	अनुदान व प्लॉट हेतु	आवेदक के पिता को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 35 पर मुआवजा राशि 12192 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28461 दिनांक 12. 03.09 के पालन में आवेदक के पिता की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	जी०आर०ए० से पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	
-----	----------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--

308	SKT-1633	नीता / देवीसिंह—सक्तापुर / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अवाड क्र० 175 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 8229 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
-----	----------	-------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

309	RIC-1854	नानकराम / गिरधारी-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने प्लॉट व विशेष पैकेज बाबत।	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 6 पर मुआवजा राशि 23442 रू० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को पुनर्वास अनुदान व प्लॉट की पात्रता नहीं आती है। वर्तमान में विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है।	
310	RIC-1853	सेवकराम / गिरधारी-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने प्लॉट व विशेष पैकेज बाबत।	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 6 पर मुआवजा राशि 23442 रू० भुगतान की गई।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को पुनर्वास अनुदान व प्लॉट की पात्रता नहीं आती है। वर्तमान में विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है।	
311	RIC-1616	ताराचंद / शिवाजी / रिछफल	अनुदान व प्लॉट हेतु	आवेदक के पिता को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यूएल. क्र० 35 पर मुआवजा राशि 12192 रू० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28461 दिनांक 12.03.09 के पालन में आवेदक के पिता की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	जी०आर०ए० से पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

312	RIC-1613	शिवाजी / मांगीलाल / रिछफल	अनुदान व प्लॉट हेतु	आवेदक को कृषि अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 35 पर मुआवजा राशि 12192 रू० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28461 दिनांक 12.03.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	जी०आर०ए० से पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	
313	RIC-1610	मंजुबाई / मयाराम-रिछफल / रिछफल	घर का मुआवजा 25,000 रू० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 18513 दिनांक 11.06.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेशानुसार आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	
314	RIC-1614	बस्करबाई / शिवाजी / रिछफल	अनुदान व प्लॉट हेतु	आवेदक के पिता को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 35 पर मुआवजा राशि 12192 रू० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28461 दिनांक 12.03.09 के पालन में आवेदक के पिता की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	जी०आर०ए० से पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

315	SKT-1652	अनारबाई / मोतीराम—सक्तापुर / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 227 पर मुआवजा राशि 6658 रु० भुगतान की गई। पुनर्वास अनुदान बीडब्ल्यूएल. गणना क्र० 40 पर 93000 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
316	RIC-1674	सेकलबाई / शंकर—रिछफल / रिछफल	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत, व अनुदान देने बाबत	—		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदिका को कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं आती है।	
317	RIC-1837	मंगतीबाई / मांगीलाल—रिछफल / रिछफल	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 33 पर मुआवजा राशि 9973 रु० भुगतान की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28470 दिनांक 27.2.09 के पालन में आवेदक की पुनर्वास अनुदान की मांग खारिज की जा चुकी है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेशानुसार आवेदक की पुनर्वास अनुदान की मांग खारिज की जा चुकी है। आवेदिका को प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

318	RIC-1608	बालाराम / गनाजी-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 8 पर मुआवजा राशि 5237 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नही होने से परिवार सूची में नाम शामिल नही किया गया। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नही है।	
319	RIC-1609	चंपालाल / बालाराम-रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत। भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 8 पर मुआवजा राशि 5237 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नही होने से परिवार सूची में नाम शामिल नही किया गया। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नही है।	
320	GOL-119	अरुणा / मनोहरलाल -गोलसैलानी / गोलसैलानी	मकान का अर्जन करने संबंधी	आवेदिका के नाम से अवार्ड गणना नंबर 89 पर राशि रु. 3731 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 9092 का भुगतान किया गया।	----	आवेदक के मकान के संबंध में प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

321	SKT-1653	शिवकरण / एड़िया-सक्तापुर / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 37 पर मुआवजा राशि 15598 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को कंडिका 7.1 की पात्रता नहीं आती है।	
322	RIC-1615	अशोक / शिवाजी / रिछफल	अनुदान व प्लॉट हेतु	आवेदक के पिता को कृषि अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 35 पर मुआवजा राशि 12192 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28461 दिनांक 12.03.09 के पालन में आवेदक के पिता की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	जी०आर०ए० से पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

323	SKT-274	मोहनसिंह / नारायणसिंह-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के नाम से डूब क्षेत्र में बनाये गये मकान का मुआवजा बी.डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 8 पर राशि रु. 54033 का भुगतान किया गया आवेदक को शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश क्र 29442 दिनांक 27.02.09 के पालन में 43700 का भुगतान किया गया जिसमें भूखंड की राशि रु. 20000 शामिल है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
324	SKT-282	पूनमचंद / देवराम -सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के पिता देवराम पिता छगन के नाम बी.डब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 187 पर राशि रु. 10577 एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश 27584 दिनांक 15.06.09 द्वारा आवेदक की अनुदान संबंधी मांग अमान्य की गई है।	---	प्रकरण निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

325	SKT-281-3	वासुदेव / देवराम —सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत्।	आवेदक के पिता देवराम पिता छगन के नाम बी.डब्ल्यू. एल. अवार्ड गणना नंबर 187 पर राशि रु. 10577 एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश 27583 दिनांक 12.06.09 राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया जिसमें भूखंड की राशि रु. 20000 शामिल है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
326	SKT-280	धनूबाई / बंशीलाल —सक्तापुर / सक्तापुर	जमीन के बदले जमीन एवं मुआवजा अनुदान	आवंदिका के नाम से बी. डब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 28 पर 0.010 एकड भूमि की राशि रु. 294 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं है अतः अनुदान की पात्रता नहीं बनती।	
327	SKT-278	नेपालसिंह / सुमेरसिंह— सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत्।	आवेदक के नाम से बी. डब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 148 राशि रु. 10381 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः आवेदक को पुनर्वास अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

328	SKT-277	गुंजा / सुमेरसिंह— सक्तापुर / सक्तापुर एवं भूखंड की मांग	मुआवजा अनुदान बाबत्।	आवेदिका के पिता के नाम से मकान का मुआवजा बी. डब्ल्यूएल. अवार्ड गणना नंबर 156 पर राशि रु. 10465 एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश 21035 दिनांक 27. 02.09 राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया जिसमें भूखंड की राशि रु. 20000 शामिल है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
329	RIC-1855	मुकेश / गिरधारी—रिछफल / रिछफल	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने, अनुदान व विशेष पैकेज बाबत्।	आवेदक के पिता को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 6 पर मुआवजा राशि 23442 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है। वर्तमान में विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

330	SKT-275	कैलाशसिंह / मोहनसिंह-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के पिता मोहनसिंह के नाम से डूब क्षेत्र में बनाये गये मकान का मुआवजा बी. डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 8 पर राशि रु. 54033 का भुगतान किया गया आवेदक को शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश क्र 29428 दिनांक 27.02.09 के पालन में 43700 का भुगतान किया गया जिसमें भूखंड की राशि रु. 20000 शामिल है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
331	SKT-4	दीपक / मोती / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 28700 दिनांक 19.03.09 के पालन में आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि 18700 रु० भुगतान किया गया।		केवल कृषि भूमि प्रभावित होने से शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में कंडिका 6.1 की राशि दी गई, भूखंड की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

332	RIC-1670	गोपाल / ओंकार-रिछफल / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 3 पर मुआवजा राशि 13431 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नही होने से परिवार सूची में नाम शामिल नही किया गया। आवेदिका को कंडिका 7.2 की पात्रता नही आती है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नही है।	
333	RIC-1671	राघु / ओंकार-रिछफल / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 3 पर मुआवजा राशि 13431 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नही होने से परिवार सूची में नाम शामिल नही किया गया। आवेदिका को कंडिका 7.2 की पात्रता नही आती है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नही है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

334	RIC-1662	आशाबाई / प्यारेलाल-रिछफल / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 6 पर मुआवजा राशि 8828 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नही होने से परिवार सूची में नाम शामिल नही किया गया। आवेदिका को कंडिका 7.2 की पात्रता नही आती है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नही है।	
335	RIC-1668	नन्नु / सिकदार / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत। घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 5 पर मुआवजा राशि 130474 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नही होने से परिवार सूची में नाम शामिल नही किया गया। आवेदिका को कंडिका 7.2 की पात्रता नही आती है। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नही है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

336	RIC-1667	फुंदाबाई / चंपालाल-रिछफल / रिछफल	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 18 पर मुआवजा राशि 23141 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदिका को कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं आती है।	
337	SKT-685	नेपालसिंह / सुमेरसिंह-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा बढ़ाने हेतु	आवेदक को बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 148 पर मुआवजा राशि 10381 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	
338	SKT-276	बलवनसिंह / सुमेरसिंह- सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के नाम से मकान का मुआवजा बी.डब्ल्यूएल. अवार्ड गणना नंबर 156 पर राशि रु. 10465 एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश 21037 दिनांक 27.02.09 राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया जिसमें भूखंड की राशि रु. 20000 शामिल है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
339	SKT-1556	दिनेश / मंगल्या-सक्तापुर / सक्तापुर	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने के सम्बंध में।	अवार्ड बी.डब्ल्यूएल. में भाई सरदार पिता मंगल्या को मकान का मुआवजा 4969 रु० दिया गया।	-	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

340	GOL-1076	दयाराम / केशव -गौलसैलानी / गौलसैलानी	मकान अधिग्रहण करने बाबत्।	आवेदक को अर्वाड गणना नंबर 28 पर राशि रु. 102506 का भुगतान किया गया है।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
341	GOL-1038	भारतसिंह / बागसिंह -गौलसैलानी / गौलसैलानी	नदी किनारे मोटर घर एवं पंप सेट का मुआवजा दिये जाने संबंधी	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल अर्वाड गणना नंबर 36 पर राशि रु. 46476 पक्के मकान का भुगतान किया गया।	---	प्रस्तावक विभाग द्वारा आवेदक के एक पक्के मकान का प्रस्ताव भेजा गया था जिसका मूल्यांकन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा गणना कर भुगतान किया गया।	
342	SKT-1828	श्यामलाल / चंपालाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लाट देने बाबत्।	आवेदक के पिता को अर्वाड क्र० 160 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 46142 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29402 दिनांक 7.03.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
343	SKT-1827	राहुल / चंपालाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लाट देने बाबत्।	आवेदक के पिता को अर्वाड क्र० 160 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 46142 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29405 दिनांक 7.03.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

344	SKT-1826	सुंदरलाल / चंपालाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 160 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 46142 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29407 दिनांक 27.02.09 के पालन में आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया गया।	आवेदक को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है। शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
345	RIC-1673	नन्नु / सिकदार-रिछफल / रिछफल	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत, व अनुदान देने बाबत	आवेदक को सेशो0 एफआरएल अवार्ड क्र० 5 पर मुआवजा राशि 130474 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
346	SKT-1824	शांतीलाल / चंपालाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 160 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 46142 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29401 दिनांक 27.02.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

347	SKT-1822	मंजु / छज्जुलाल / सक्तापुर	प्लॉट दिये जाने बाबत	आवेदक के पिता को अर्वाड क्र० 159 बी.डब्ल्यू.एल मकान का मुआवजा 48131 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश क्र० 29404 दिनांक 12.03.09 के पालन में आवेदक को 43700 रु० पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० के आदेश का पालन किया गया।	आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20000 रु० भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	
348	SKT-1821	रमेश / छज्जुलाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अर्वाड क्र० 159 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 48131 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश के पालन में 43700 रु० भुगतान किया गया।	जी.आर.ए. के आदेश का पालन किया गया।	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
349	SKT-1548	सरदार / मंगल्या-सक्तापुर / सक्तापुर	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने के सम्बंध में।	मकान का मुआवजा 4969 रु० दिया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

350	SKT-1649	पार्वतीबाई / नन्नू / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 1 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि का मुआवजा 416300 रु० एवं वि०पु०अ० 181 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
351	SKT-1469	रामप्यारीबाई / बल्लु-सक्तापुर / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम जोड़ने बाबत	अवार्ड क्र० 74 पर मकान का मुआवजा 19877 रु० भुगतान किया गया।	—	डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
352	SKT-1294	धन्नलाल / बाबु-सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा / अनुदान एवं भूखंड प्रदान करने बाबत	अवार्ड क्र० 97 पर मकान का मुआवजा 10736 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
353	SKT-1636	मंगतीबाई / आनंदराम / सक्तापुर	मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 174 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6189 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
354	SKT-1825	प्रेमलाल / चंपालाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 160 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 46142 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29413 दिनांक 27.02.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में आवेदक की पुनर्वास की मांग खारिज की जा चुकी है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

355	SKT-289	सुखराम / रुखड़िया / सक्तापुर	मकान का मुआवजा कम एवं पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 12 पर मुआवजा 6832 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश के पालन में 43700 रु० भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० के आदेश का पालन किया गया।	आवेदक को पर्याप्त मुआवजा एवं अनुदान दिया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
356	SKT-293	ओंमप्रकाश / कैलाशचंद्र -सक्तापुर / सक्तापुर	अनुदान राशि मिलने बाबत।	आवेदक के पिता कैलाशचंद्र के नाम से बी.डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 186 पर राशि रु. 39882 का भुगतान किया गया।	----	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नहीं बनती है।	
357	SKT-3	रामसिंह / नन्या / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	आवेदक को क्र० 7 पर पुनर्वास अनुदान 43700 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20000 रु० भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	
358	SKT-5	फत्तु / ध्याना / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 28694 दिनांक 19.03.09 के पालन में आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि 18700 रु० भुगतान किया गया।		केवल कृषि भूमि प्रभावित होने से शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में कंडिका 6.1 की राशि दी गई, भूखंड की पात्रता नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

359	SKT-6	सावित्रीबाई / मोती / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 28697 दिनांक 29.03.09 के पालन में आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि 18700 रु० भुगतान किया गया।		केवल कृषि भूमि प्रभावित होने से शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के पालन में कंडिका 6.1 की राशि दी गई, भूखंड की पात्रता नहीं है।	
360	SKT-43	अनुसूईया / दगडु / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29402 दिनांक 7.03.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई। शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 28673 दिनांक 23.03.09 के पालन में आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि 18700 रु० का भुगतान किया गया।	—	केवल कृषि भूमि प्रभावित होने से जी०आर०ए० के आदेश के पालन में कंडिका 6.1 की राशि भुगतान की गई है प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	
361	SKT-	केशरबाई / ईश्वरसिंह / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 29444 दिनांक 12.03.09 के पालन में आवेदक को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20000 रु० भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	
362	GOL-1077	सुशीलाबाई / रामलाला / गौलसैलानी / गौलसैलानी	जमीन के बदले जमीन बाबत	आवेदिका को अवार्ड गणना नंबर 99 पर राशि रु. 12034 का भुगतान किया गया है।	----	जमीन के बदले जमीन से संबंधित प्रकरण शिकायत निवारण प्राधिकरण में प्रचलित है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

363	SKT-288	राधेश्याम / कड़वा / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	आवेदक को 111713 रु० मकान का मुआवजा दिया गया है।	—	धारा-4 के समय ग्राम में निवासरत् नहीं पाए जाने से अनुदान नहीं दिया गया।	
364	GOL-1080	भैरूलाल / रामरतन -गौलसैलानी / गौलसैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	---	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
365	SKT-290	पार्वतीबाई / पंचम / सक्तापुर-टापू	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 11 पर 10796 रु० मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।	जी०आर०ए० प्रकरण क्र० 27436 आदेश दिनांक 15.06.09 से आवेदिका का प्रकरण अमान्य किया गया है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
366	GOL-116	भागवतीबाई / निहालसिंह -गौलसैलानी / गौलसैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान/मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदिका के पिता के नाम से अवार्ड गणना नंबर 13 पर राशि रु. 368544 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 206974 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की आबादी डूब प्रभावित नहीं होने से परिवार सूची नहीं बनाई गई। अतः आवेदिका को अनुदान एवं प्लॉट की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

367	GOL-115	मथुराबाई / दरियावसिंह —गौलसैलानी / गौलसैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत्।	आवेदिका के पिता रामा के नाम से अर्वाड गणना नंबर 13 पर राशि रु. 368544 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 206974 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका के आवेदन के संबंध में लेख है कि, प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से मकान के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
368	GOL-114	ममताबाई / निहालसिंह —गौलसैलानी / गौलसैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान/मुआवजा व अनुदान राशि एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत्।	आवेदिका के पिता के नाम से अर्वाड गणना नंबर 13 पर राशि रु. 368544 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 206974 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की आबादी डूब प्रभावित नहीं होने से परिवार सूची नहीं बनाई गई। अतः आवेदिका को अनुदान एवं प्लॉट की पात्रता नहीं बनती है।	
369	GOL-1081	सुमनबाई / भैरूलाल—गौलसैलानी / गौलसैलानी	प्लॉट प्रदाय किये जाने बाबत्।	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल अर्वाड गणना नंबर 40 पर राशि रु. 125240 का भुगतान किया गया। अपर संचालक महो० द्वारा स्वीकृत पुनर्वास अनुदान गणना क्र० 18 पर 67500 रु० दिया गया है।	---	आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20000 रु भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

370	SKT-2-7	विक्रमसिंह / गणपतसिंह / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	-	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः भूखंड नहीं दिया जा सकता। आवेदन निरस्त योग्य है।	
371	GOL-118	अरूणा / मनोहरलाल -गोलसैलानी / गोलसैलानी	मकान का अर्जन करने संबंधी	आवेदिका के नाम से अवार्ड गणना नंबर 89 पर राशि रु. 3731 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 9092 का भुगतान किया गया।	----	आवेदक के मकान के संबंध में प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	
372	GOL-55	राधेश्याम / रामलाल -गौलसेलानी / गोलसैलानी	मकान को डूब में लेने बाबत।	----	'----	आवेदक के आवेदन के संबंध में लेख है कि, प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
373	GOL-1284	सुनीता / रामलाल -गौलसैलानी / गौलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता रामलाल के नाम से अवार्ड गणना नंबर 57 पर राशि रु. 498607 का भुगतान किया गया।	----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

374	SKT-588	गणेश / राधेश्याम / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखण्ड देने बाबत्।	आवेदक की माँ के नाम से बी. डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 213 पर राशि रु. 15125 का भुगतान किया गया	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से अनुदान एवं भूखण्ड की पात्रता नहीं बनती है।	
375	SKT-587	कमलाबाई / राधेश्याम / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखण्ड देने बाबत्।	आवेदिका को बी.डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 213 पर राशि रु. 15125 का भुगतान किया गया	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से अनुदान एवं भूखण्ड की पात्रता नहीं बनती है।	
376	SKT-574	सावित्रीबाई / नत्थू / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखण्ड देने बाबत्।	आवेदिका को पूर्व एफ.आर. एल. अवार्ड गणना नंबर 40 पर 151924 एवं संसोधित एफआरएल अवार्ड गणना नंबर 26 पर राशि रु. 3916 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से अनुदान एवं भूखण्ड की पात्रता नहीं बनती है।	
377	SKT-573	सावित्रीबाई / नत्थू / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखण्ड देने बाबत्।	आवेदिका को पूर्व एफ.आर. एल. अवार्ड गणना नंबर 40 पर 151924 एवं संसोधित एफआरएल अवार्ड गणना नंबर 26 पर राशि रु. 3916 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान 3693 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से अनुदान एवं भूखण्ड की पात्रता नहीं बनती है।	
378	SKT-601	लक्ष्मण / टूटा / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल कर अनुदान देने बाबत्।	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 220 पर राशि रु. 25738 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से अनुदान पाने हेतु पात्रता नहीं रखता।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

379	SKT-571	टूटाजी / गणपत / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान पैकेज बाबत।	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल. अर्वाइड गणना नंबर 80 पर राशि रु. 8184 एवं पुनर्वास अनुदान गणना क्र.-18/54 पर राशि रु. 43700 का भुगतान किया गया	शिकायत निवारण प्राधिकरण के पारित मान्य आदेश का पालन किया गया।	वर्तमान में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान पैकेज देने का प्रावधान नहीं है।	
380	SKT-602	संतोष / इसराम / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल कर अनुदान देने बाबत।	आवेदक को टाप अर्वाइड गणना नंबर 10 पर राशि रु. 3955 का भुगतान किया गया।	----	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से अनुदान पाने हेतु पात्रता नहीं रखता।	
381	SKT-548	कैलाशचंद्र / सिद्धनाथ / सक्तापुर	मुआवजा राशि बढ़ी हुई मिलने बाबत	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल. अर्वाइड गणना नंबर 186 पर राशि रु. 39882 का भुगतान किया गया	----	समुचित मुआवजा दिया गया है।	
382	SKT-547	ज्योति / पुनाजी / सक्तापुर	अनुदान राशि मिलने बाबत।	----	----	डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
383	SKT-546	बसंत / पुनाजी / सक्तापुर	अनुदान राशि मिलने बाबत।	----	----	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
384	SKT-545	संतोष / कैलाशचंद्र -सक्तापुर / सक्तापुर	अनुदान व प्लाट प्रदायन करने बाबत।	आवेदक के पिता को अर्वाइड गणना नंबर 186 पर राशि रु. 39882 का भुगतान किया गया।	----	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से अनुदान व प्लाट की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत							
385	SKT-544	बलरामसिंह / सजनसिंह / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखण्ड प्रदान करने हेतु	आवेदक का बी.डब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 188 पर राशि रु. 8055 का भुगतान किया गया।	---	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
386	SKT-534	गजानंद / बाबू / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखण्ड प्रदान करने हेतु	आवेदक की माँ जतनबाई-बाबू के नाम से बी.डब्ल्यूए. अवार्ड गणना नंबर 99 पर राशि रु. 43160 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है।	
387	SKT-572	श्यागुलबाई / गणपत / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत् एवं भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान पैकेज बाबत्	आवेदिका के पति गणपत पिता किशन को अवार्ड गणना नंबर 31 पर राशि रु. 44317 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका धारा-4 के समय ग्राम में निवासरत् नहीं पाई जाने के कारण परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया एवं वर्तमान में जीविका हेतु 2.5 लाख रुपये का विशेष अनुदान पैकेज देने का प्रावधान नहीं है।	
388	SKT-625	अनोखी / राजाराम / सक्तापुर	अनुदान एवं प्लाट देने बाबत्।	आवेदक की माँ के नाम से बी.डब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 203 पर राशि रु. 6261 का भुगतान किया गया।	---	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से आवेदक को अनुदान की पात्रता नहीं रखता	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

389	SKT-291	कमल / कैलाशचंद्र -सक्तापुर / सक्तापुर	अनुदान राशि एवं प्लॉट मिलने बाबत।	आवेदक के पिता कैलाशचंद्र के नाम से बी.डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 186 पर राशि रु. 39882 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नहीं बनती है।	
390	SKT-908-3	छज्जु / नान्या-सक्तापुर / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को संशोधित एफआरएल कृषि अवार्ड क्र० 56 पर मुआवजा राशि 6432 रु० भुगतान की गई।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। आवेदक को कंडिका 7.2 की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
391	RIC-342	पप्पू / रामकिशन-रिछफल / रिछफल	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	-	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने के प्रावधान नहीं है।	
392	GOL-1282-4	लीलाबाई / रामलाल -गौलसैलानी / गौलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पति रामलाल के नाम से अवार्ड गणना नंबर 57 पर राशि रु. 498607 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

393	SKT-631	राधिका / प्रेमलाल -सक्तापुर / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्।	आवेदिका के पिता प्रेमलाल को अर्वाड गणना 155 पर राशि रु. 8265 का भुगतान किया गया एवं शिनिप्रा के आदेश क्र 27595 दिनांक 12.06.09 के परिपालन प्रेमलाल छगन को पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नही होने से अनुदान की पात्रता नही बनती है।	
394	SKT-589	सुरेखाबाई / राधेश्याम / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखण्ड देने बाबत्।	आवेदिका की माँ के नाम से बी.डब्ल्यू.एल अर्वाड गणना नंबर 213 पर राशि रु. 15125 का भुगतान किया गया	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नही होने से अनुदान एवं भूखण्ड की पात्रता नही बनती है।	
395	SKT-629	सपना / प्रेमलाल -सक्तापुर / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्।	आवेदिका के पिता प्रेमलाल को अर्वाड गणना 155 पर राशि रु. 8265 का भुगतान किया गया एवं शिनिप्रा के आदेश क्र 27595 दिनांक 12.06.09 के परिपालन प्रेमलाल छगन को पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नही होने से अनुदान की पात्रता नही बनती है।	
396	SKT-531	चम्पालाल / बाबू / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखण्ड प्रदान करने हेतु	आवेदक का नाम बी.डब्ल्यू.ए. अर्वाड गणना नंबर 96 पर राशि रु. 8566 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नही होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नही बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

397	SKT-624	लक्ष्मण / राजाराम / सक्तापुर	अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक की माँ के नाम से बी. डब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 203 पर राशि रु. 6261 का भुगतान किया गया।	---	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से आवेदक को अनुदान की पात्रता नहीं रखता	
398	SKT-623	अनारबाई / राजाराम / सक्तापुर	अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदिका को बी.डब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 203 पर राशि रु. 6261 का भुगतान किया गया।	---	डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से आवेदिका को अनुदान की पात्रता नहीं रखता	
399	SKT-607	समोतीबाई / चामटा / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदिका को संयुक्त खाते के रूप में टापू अवार्ड कृषि भूमि गणना नंबर 1 पर राशि रु. 57050 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 138876 का भुगतान किया गया।	---	डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से आवेदिका को अनुदान की पात्रता नहीं रखता	
400	SKT-606	ममताबाई / चामटा / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदिका को संयुक्त खाते के रूप में टापू अवार्ड कृषि भूमि गणना नंबर 1 पर राशि रु. 57050 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 138876 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

401	SKT-604	गेंदालाल / छगन / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल कर अनुदान देने बाबत्।	आवेदक को टापू अवार्ड गणना नंबर 6 पर 9783 का भुगतान किया गया। शिकायत निवारण प्राधिकरण का प्रकरण क्र 21059 दिनांक 03.06.08 के अनुसार कंडिका 7.2 की राशि का भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के पारित मान्य आदेश का पालन किया गया।	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से आवेदक अनुदान की पात्रता नहीं रखता	
402	SKT-603	दीपक / राधेश्याम / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल कर अनुदान देने बाबत्।	आवेदक को शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 21061 के अनुसार कंडिका 7.2 की राशि का भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के पारित मान्य आदेश का पालन किया गया।	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से आवेदक अनुदान की पात्रता नहीं रखता	
403	SKT-630	माधुरी / प्रेमलाल -सक्तापुर / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्।	आवेदिका के पिता प्रेमलाल को अवार्ड गणना 155 पर राशि रु. 8265 का भुगतान किया गया एवं शिनिप्रा के आदेश क्र 27595 दिनांक 12.06.09 के परिपालन प्रेमलाल छगन को पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

404	GOL-1269	हीरालाल / छोटू -गौलसैलानी / गौलसैलानी	मकान अधिग्रहण करने बाबत्।	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल आवर्ड गणना नंबर 4 पर एक पक्के मकान एवं जमीन की मुआवजा राशि रु. 67514 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 222 साथ ही आवेदक को पुनर्वास अनुदान राशि रु. 18700 भी भुगतान किया गया।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
405	GOL-1278	ताराचंद / रामलाल -गौलसैलानी / गौलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता रामलाल के नाम से अवार्ड गणना नंबर 57 पर राशि रु. 498607 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
406	GOL-1277	मदन / प्यारा -गौलसैलानी / गौलसैलानी	कंडिका 7.1 के तहत प्लट दिये जाने बाबत्।	आवेदक के पिता कालू को आवार्ड गणना नंबर 35 पर जमीन की मुआवजा राशि रु. 188975 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 62405 तथा आवेदक स्वयं के नाम से पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 90 पर राशि रु. 42500 का भुगतान किया गया।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

407	GOL-1275	हरकचंद / गबरू —गौलसैलानी / गौलसैलानी	मकान, पुनर्वास अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक के पिता गबरू के नाम से आवर्ड गणना नंबर 82 पर जमीन की मुआवजा राशि रु. 68127 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि 122856 का भुगतान किया गया।	---	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है एवं ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम शामिल न होने से अनुदान एवं प्लॉट की पात्रता नहीं बनती आवेदन निरस्ती योग्य है।	
408	GOL-1274	गोपी / नत्थू —गौलसैलानी / गौलसैलानी	कंडिका 7.2 के अंतर्गत अंतर की राशि मिलने बाबत	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल आवर्ड गणना नंबर 20 पर राशि रु. 5157 का भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण से अमान्य किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 19647 दिनांक 15.06.09 से अमान्य किया गया।	
409	GOL-1273	कड़वाजी / घीसाजी —गौलसैलानी / गौलसैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को बी.डब्ल्यू.एल आवर्ड गणना नंबर 39 पर एक कच्चे मकान की मुआवजा राशि रु. 52725 एवं पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 63 पर राशि रु. 68000 का भुगतान किया गया।	---	जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।	
410	SKT-533	जतनबाई / बाबू / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखण्ड प्रदान करने हेतु	आवेदिका का नाम बी.डब्ल्यू.ए. अवाई गणना नंबर 99 पर राशि रु. 43160 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

411	GOL-1270	कमलसिंह / बाबूसिंह -गौलसैलानी / गौलसैलानी	मकान अधिग्रहण करने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड गणना नंबर 32 पर राशि रु. 36249 का भुगतान किया गया।	----	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के किसी भी मकान का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
412	GOL-1281	कला / रामलाल -गौलसैलानी / गौलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के पिता रामलाल के नाम से अवार्ड गणना नंबर 57 पर राशि रु. 498607 का भुगतान किया गया।	----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
413	GOL-1256	दंडुसिंह / अनूपसिंह -गौलसैलानी / गौलसैलानी	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को आवार्ड गणना नंबर 31 पर जमीन की मुआवजा राशि रु. 193523 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 45793 का भुगतान किया गया।	----	जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।	
414	SKT-728	सोनम / प्रेमलाल -सक्तापुर / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत्।	आवेदिका के पिता प्रेमलाल को अवार्ड गणना 155 पर राशि रु. 8265 का भुगतान किया गया एवं शिनिप्रा के आदेश क्र 27595 दिनांक 12.06.09 के परिपालन प्रेमलाल छगन को पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 का भुगतान किया गया।	----	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

415	GOL-76	लवकेश / धन्नालाल -गोलसैलानी / गोलसैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	---	---	आवेदक के आवेदन के संबंध में लेख है कि, प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
416	GOL-789	दिनेश / श्रीकृष्ण -गोलसैलानी / गोलसैलानी	पुनर्वास अनुदान संबंधी	---	---	ग्राम के मंदिरों का अर्जन नहीं हुआ है। तथा ग्राम की आबादी आंशिक रूप से अर्जन की गई है। तथा शेष आबादी स्थित है। आवेदक के मकान का अर्जन नहीं हुआ है। अतः अनुदान की पात्रता नहीं बनती। आवेदन निरस्ती योग्य है।	
417	GOL-79	चुन्नीलाल / देवराम -गोलसैलानी / गोलसैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के पिता देवराम पिता हीराला के नाम से अवार्ड गणना नंबर 16 पर राशि रु. 71554 एवं आवेदक के नाम से पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 23 पर राशि रु. 42500 का भुगतान किया गया।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

418	GOL-80	देवराम / हीराजी -गौलसैलानी / गौलसैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत्।	आवेदक के नाम से अवार्ड गणना नंबर 16 पर राशि रु. 71554 एवं आवेदक के नाम से पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 21 पर राशि रु. 42500 का भुगतान किया गया।	----	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	
419	GOL-1272	लखमसिंह / केसरेसिंह -गौलसैलानी / गौलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता केसरेसिंह का नाम सुयुक्त रूप से अवार्ड गणना नंबर 47 पर राशि रु. 101739 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 27519 का भुगतान किया गया।	----	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
420	SKT-477	सूरजबाई / दुलाजी / सक्तापुर	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत्।	----	----	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
421	GOL-1285	मीराबाई / बाबूलाल -गौलसैलानी / गौलसैलानी	मकान अधिग्रहण करने बाबत्।	आवेदिका को अवार्ड गणना नंबर 57 पर राशि रु. 498607 का भुगतान किया गया।	----	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के किसी भी मकान का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

422	SKT-530	पूनम / बाबू / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखण्ड प्रदान करने हेतु	आवेदक का नाम बी.डब्ल्यू.ए. अवार्ड गणना नंबर 100 पर राशि रु. 21597 का भुगतान किया गया।	----	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
423	SKT-529	धापूबाई / कैलाश / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम जोड़ने बाबत्।	----	----	आवेदिका एवं उसका परिवार डूब क्षेत्र के निवासी नहीं है ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।	
424	SKT-528	मायाबाई / कचरू / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम जोड़ने बाबत्।	----	----	आवेदिका एवं उसका परिवार डूब क्षेत्र के निवासी नहीं है ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।	
425	SKT-527	लक्ष्मीबाई / छगन / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम जोड़ने बाबत्।	----	----	आवेदिका एवं उसका परिवार डूब क्षेत्र के निवासी नहीं है ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।	
426	SKT-521	सावित्रीबाई / नत्थूजी / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखण्ड प्रदान करने हेतु	आवेदिका को बी.डब्ल्यू.ए. अवार्ड गणना नंबर 12 पर कृषि भूमि 0.008 एकड़ एवं कच्चे मकान की मुआवजा राशि रु. 7370 का भुगतान किया गया।	----	डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

427	SKT-188	मंगलीबाई / आनंदराम / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 19498 आदेश दिनांक 15.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
428	SKT-478	सुमनबाई / तोताराम / सक्तापुर	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत।	---	---	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
429	GOL-1279	राधेश्याम / रामलाल -गौलसैलानी / गौलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता रामलाल के नाम से अवार्ड गणना नंबर 57 पर राशि रु. 498607 का भुगतान किया गया।		ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
430	KLK-304	सुमनसिंह / मोहन-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	नियमानुसार मुआवजा दिये जाने बाबत।	आवेदक को गणना नंबर 33 पर अर्जित रकबा 1.43 हे० राशि रु. 53180 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 57847 का भुगतान किया गया। जो समुचित एवं नियमानुसार है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

431	KLK-303	इन्दरसिंह / दिलीपसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	नियमानुसार मुआवजा दिये जाने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड गणना नंबर 34 पर भूमि का रकबा 0.01 हे० का मुआवजा राशि रु. 2736 एवं संयुक्त खाते के रूप में विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 5742 का भुगतान किया गया। जो समुचित एवं नियमानुसार है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
432	KLK-302	प्रहलादसिंह / दिलीपसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	नियमानुसार मुआवजा दिये जाने बाबत्।	आवेदक को अवार्ड गणना नंबर 31 पर अर्जित रकबा 0.50 हे० मुआवजा राशि रु. 91577 एवं संयुक्त खाते के रूप में विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 5742 का भुगतान किया गया। जो समुचित एवं नियमानुसार है।	---	आवेदन निरस्ती योग्य है।	
433	SKT-297	हरिशंकर / कैलाशचंद्र -सक्तापुर / सक्तापुर	अनुदान राशि मिलने बाबत्।	आवेदक के पिता कैलाशचंद्र के नाम से बी.डब्ल्यू.ए.ल अवार्ड गणना नंबर 186 पर राशि रु. 39882 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

434	SKT-296	शांतिलाल / पूनाजी –सक्तापुर / सक्तापुर	अनुदान राशि एवं भूखंड देने बाबत	आवेदक की माँ बनूबाई पति पूनाजी के नाम से बीडब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 184 पर राशि रु. 39882 दिया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण से अमान्य	शिकायत निवारण प्रधिकरण के प्रकरण क्र 27589 दिनांक 12.06.09 द्वारा अनुदान की अमान्य की गई है। अतः प्रकरण निरस्ती योग्य है।	
435	SKT-532	पन्नलाल / बाबू / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखण्ड प्रदान करने हेतु	आवेदक का नाम बी.डब्ल्यूए. अवार्ड गणना नंबर 98 पर राशि रु. 21397 का भुगतान किया गया।	----	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
436	SKT-502	कैलाश / दुलीचंद / सक्तापुर	पुनर्वास नीति की कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट देने बाबत।	----	----	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से आवेदन निरस्ती योग्य है।	
437	SKT-715	केदारसिंह / गोपालसिंह –सक्तापुर / सक्तापुर	मकान का मुआवजा, अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत।	आवेदक का नाम बीडब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 123 पर राशि रु. 1485 का भुगतान किया गया।	----	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
438	SKT-1144	सोहनसिंह / नत्थुसिंह / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू. एल.) क्र० 53 पर मकान का मुआवजा 14801 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 35118 दिनांक 29. 10.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

439	SKT-1008	रामकरण / एड़िया / सक्तापुर	प्लॉट एवं विशेष पैकेज व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 38 बी. डब्ल्यू.एल. पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 23196 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 19 पर 43700 रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में विशेष पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
440	SKT-911	जामसिंह / सरदार / सक्तापुर	अनुदान एवं भूखंड एवं 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज प्रदाय बाबत	आवेदक के अवार्ड क्र० 47 बी. डब्ल्यू.एल. पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 25434 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 24 पर 43700 रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
441	SKT-634	राकेश / कल्याणसिंह -सक्तापुर / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक क पिता कल्याणसिंह को बीडब्ल्यू.एल. अवार्ड गणना नंबर 146 पर 9851 एवं शिनिप्रा के आदेश क्र 29455 दिनांक 13.03.09 के परिपालन कल्याणसिंह को पुनर्वास अनुदान राशि रु. 93000 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

442	SKT-667	गजराजसिंह / शिवेसिंह –सक्तापुर / सक्तापुर	शेष बची जमीन डूब में लेने बाबत।	---	---	आवेदक की प्रभावित भूमि ग्राम घोघलगांव की होने से कार्यवाही न करते हुये संबंधित कार्यालय को मूलतः भेजा गया।	
443	SKT-1016	मुकेश / रामसिंह / सक्तापुर	मुआवजा , 2.5 लाख रू० का विशेष पैकेज देने बाबत एवं परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू. एल.) क्र० 233 पर मकान का मुआवजा 15664 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। वर्तमान में 2.5 लाख रू० का विशेष पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
444	SKT-713	फूलचंद / मंशाराम –सक्तापुर / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के नाम से प्रथम एफआरएल अवार्ड गणना नंबर 49 पर राशि रू. 128084 का भुगतान किया गया।	---	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया जा सकता।	
445	SKT-1015	राजु / रामसिंह / सक्तापुर	मुआवजा, 2.5 लाख रू० का विशेष पैकेज देने बाबत एवं परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू. एल.) क्र० 232 पर मकान का मुआवजा 47927 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

446	SKT-1291	कोमल / चंपालाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (टापू) क्र० 1 पर कृषि भूमि का मुआवजा 57050 रु० एवं वि०पु०अ० 138876 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
447	SKT-1290	चंपालाल / चामटा / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (टापू) क्र० 1 पर कृषि भूमि का मुआवजा 57050 रु० एवं वि०पु०अ० 138876 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 27420 दिनांक 1.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की गई।	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल से आवेदक का आवेदन अमान्य किया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
448	SKT-1289	जितेन्द्र / चंपालाल / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (टापू) क्र० 1 पर कृषि भूमि का मुआवजा 57050 रु० एवं वि०पु०अ० 138876 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
449	SKT-1288	कमलेश / चंपालाल / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (टापू) क्र० 1 पर कृषि भूमि का मुआवजा 57050 रु० एवं वि०पु०अ० 138876 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
450	SKT-1287	राकेश / चंपालाल / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (टापू) क्र० 1 पर कृषि भूमि का मुआवजा 57050 रु० एवं वि०पु०अ० 138876 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

451	GOL-1283	ममता / रामलाल -गौलसैलानी / गौलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदिका के पिता रामलाल के नाम से अवार्ड गणना नंबर 57 पर राशि रु. 498607 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	
452	SKT-712	सकुनबाई / मंशाराम -सक्तापुर / सक्तापुर	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदक के नाम से प्रथम एफआरएल अवार्ड गणना नंबर 49 पर राशि रु. 128084 का भुगतान किया गया।	---	डूब क्षेत्र का निवासी नहीं होने से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया जा सकता।	
453	SKT-1025	मंशाराम / इंदराम / सक्तापुर	2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, मुआवजा व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 234 पर मकान का मुआवजा 23301 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 35 पर 93000 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
454	GOL-81	जसवंत / देवराम -गौलसैलानी / गौलसैलानी	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान, मुआवजा व अनुदान एवं प्लॉट प्रदाय करने बाबत।	आवेदक के पिता देवराम पिता हीराला के नाम से अवार्ड गणना नंबर 16 पर राशि रु. 71554 एवं आवेदक के नाम से पुनर्वास अनुदान गणना नंबर 22 पर राशि रु. 42500 का भुगतान किया गया।	---	प्लॉट हेतु आवेदक पुनर्वास स्थल गोयाड़ा, इंधावड़ी एवं बीड़ में प्लॉट हेतु आवेदन कर सकता है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

455	SKT-294	बनूबाई / पूनाजी —सक्तापुर / सक्तापुर	मकान के मुआवजा राशि के संबंध में बढ़ा हुआ मुआवजा मिलने बाबत। अनुदान राशि एवं भूखंड देने बाबत	आवेदिका के नाम से बीडब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 184 पर राशि रु. 39882 दिया गया जो समुचित है।	शिकायत निवारण प्राधिकरण से अमान्य	शिकायत निवारण प्रधिकरण के प्रकरण क्र 27587 दिनांक 11.06.09 द्वारा अनुदान की अमान्य की गई है। अतः प्रकरण निरस्ती योग्य है।	
456	SKT-295	धन्नालाल / पूनाजी —सक्तापुर / सक्तापुर	अनुदान राशि एवं भूखंड देने बाबत	आवेदक की माँ बनूबाई पति पूनाजी के नाम से बीडब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 184 पर राशि रु. 39882 दिया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण से अमान्य	शिकायत निवारण प्रधिकरण के प्रकरण क्र 27588 दिनांक 12.06.09 द्वारा अनुदान की अमान्य की गई है। अतः प्रकरण निरस्ती योग्य है।	
457	SKT-632	शिवानी / प्रेमलाल —सक्तापुर / सक्तापुर	पुनर्वास अनुदान देने बाबत।	आवेदिका के पिता प्रेमलाल को अवार्ड गणना 155 पर राशि रु. 8265 का भुगतान किया गया एवं शिनिप्रा के आदेश क्र 27595 दिनांक 12.06.09 के परिपालन प्रेमलाल छगन को पुनर्वास अनुदान राशि रु. 67500 का भुगतान किया गया।	---	आवेदिका डूब क्षेत्र की निवासी नहीं होने से अनुदान की पात्रता नहीं बनती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

458	SKT-1028	विनोद / लक्ष्मण / सक्तापुर	2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, मुआवजा व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 226 पर मकान का मुआवजा 9914 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 34 पर 93000 रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
459	SKT-1014	प्रकाश / रामसिंह / सक्तापुर	परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत, पुनर्वास नीति के तहत मुआवजा मिलने बाबत एवं 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 231 पर मकान का मुआवजा 46619 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को मुआवजा भुगतान किया गया है। आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
460	SKT-1026	सुनिल / प्रताप / सक्तापुर	2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, मुआवजा व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 42 पर मकान का मुआवजा 12319 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

461	SKT-1143	केदारसिंह / नेपालसिंह / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 123 पर मकान का मुआवजा 1485 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
462	SKT-1024	भीमा / इंदराम / सक्तापुर	2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, मुआवजा व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 43 पर मकान का मुआवजा 18937 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 11 पर 93000 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
463	SKT-1023	प्रताप / इंदराम / सक्तापुर	2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, मुआवजा, अनुदान व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 42 पर मकान का मुआवजा 12319 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 10 पर 93000 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

464	SKT-1022	डोलार / लालसिंह / सक्तापुर	2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, मुआवजा व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक की माता को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 2 पर कृषि भूमि का मुआवजा 568 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
465	SKT-1021	मुन्ना / दोलार / सक्तापुर	2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, मुआवजा व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 34 पर मकान का मुआवजा 9061 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का मतदाता सूची में नाम नहीं होने से भू. अर्जन अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 9.09.07 से परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया।	
466	SKT-1020	जालमसिंह / डोलारसिंह / सक्तापुर	2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, मुआवजा व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 35 पर मकान का मुआवजा 16831 रु० भुगतान किया गया।	—	मतदाता सूची में नाम नहीं होने से भू.अर्जन अधिकारी महो० के आदेश दिनांक 9.9.07 के अनुसार परिवार सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

467	SKT-1017	रामसिंह / सरदार / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, पाइप लाइन व जमीन के बदले जमीन व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 230 पर मकान का मुआवजा 53268 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 39 पर 43700 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
468	SKT-1027	लक्ष्मण / गोमा / सक्तापुर	2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, मुआवजा व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के अवार्ड क्र० 225 (बी.डब्ल्यू.एल.) पर मकान का मुआवजा 24742 रु० भुगतान किया गया। पुनर्वास अनुदान (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 33 पर	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
469	KRL-1526	सुशीलाबाई / हेमराज -करोली / करोली	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अवेदिका के नाम से कृषि अवार्ड गणना नंबर 1 पर राशि रु. 822 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 1736 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की आबादी भूमि डूब प्रभावित नहीं होने से ग्राम परिवार सूची नहीं बनाई गई।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

470	SKT-1145	मंजुबाई / मानसिंह / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 63 पर मकान का मुआवजा 22110 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नही होने से पुनर्वास अनुदान नही दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
471	SKT-264	विनोद / दुलीचंद - सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के पिता दुलीचंद को कृषि भूमि अवार्ड गणना नंबर 199 पर कृषि भूमि पर बनाये गये मकान का मुआवजा राशि रु. 6852 का भुगतान किया गया	---	आवेदक डूब क्षेत्र में निवासरत् न होने से अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नही बनती है।	
472	SKT-262	संजय / दुलीचंद - सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के पिता दुलीचंद को कृषि भूमि अवार्ड गणना नंबर 199 पर कृषि भूमि पर बनाये गये मकान का मुआवजा राशि रु. 6852 का भुगतान किया गया	---	आवेदक डूब क्षेत्र में निवासरत् न होने से अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नही बनती है।	
473	SKT-261	दुलीचंद / मांगीलाल -सक्तापुर / सक्तापुर	मुआवजा अनुदान एवं भूखंड की मांग बाबत।	आवेदक के नाम से बी.डब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 199 पर राशि रु. 6852 का भुगतान किया गया	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नही है अतः अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नही बनती है। आवेदन निरस्ती योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

474	SKT-237	नन्हीबाई / गणपत -सक्तापुर / सक्तापुर	भूमिहीन के रूप में अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदिका को उसके मकान का बीडब्ल्यूएल अवार्ड गणना नंबर 82 पर राशि रु 4235 का भुगतान किया गया।	---	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा आवेदक के प्रकरण क्र 29373 दिनांक 27.02.09 से अमान्य किया गया।	
475	GOL-177	पुरणसिंह / देवेसिंह -गोलसैलानी / गोलसैलानी	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	आवेदका नाम संयुक्त रूप से आवर्ड गणना क्रमांक-21 पर राशि रु. 236894 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 19598 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की आबादी डूब प्रभावित नहीं होने से परिवार सूची नहीं बनाई गई।	
476	SKT-1115	हीरालाल / तुलाराम / सक्तापुर	प्लॉट देने बाबत	-	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 28685 दिनांक 19.03.09 से आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि स्वीकृत की गई जिसका भुगतान किया गया है।	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदक को कंडिका 7.1 की पात्रता नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
477	KRL-1639	पावर्तीबाई / पूनाजी -करोली / करोली	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि अवार्ड गणना पत्र क्रमांक-10 पर राशि रु. 50614 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 11404 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

478	SKT-1114	मुकेश / सुरपाल / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक की दादी को अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 101 पर मकान का मुआवजा 17552 रू० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
479	KRL-1525	जगदीश / हेमराज -करोली / करोली	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अवेदक की माँ सुशीलाबाई पति हेमराज के नाम से कृषि अवार्ड गणना नंबर 1 पर राशि रू. 822 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रू. 1736 का भुगतान किया गया।	----	ग्राम की आबादी भूमि डूब प्रभावित नहीं होने से ग्राम परिवार सूची नहीं बनाई गई।	
480	KRL-1524	सुशीलाबाई / हेमराज - करोली / करौली	कुंआ एवं पाईपलाईन सर्वे में छूट जाने बाबत।	आवेदिका को अवार्ड गणना नंबर 1 पर राशि रू. 822 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान 1736 रू. का भुगतान किया गया।	----	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
481	KRL-1481	शंकर / मदनसिंह - करोली / करोली	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना नंबर 4 पर राशि रू. 5335 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रू. 3745 का भुगतान किया गया।	----	ग्राम की आबादी भूमि डूब प्रभावित नहीं होने से ग्राम परिवार सूची नहीं बनाई गई।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

482	KRL-1480	रमेश / मदनसिंह — करोली / करोली	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना नंबर 3 पर राशि रु. 5096 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 4999 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की आबादी भूमि डूब प्रभावित नहीं होने से ग्राम परिवार सूची नहीं बनाई गई।	
483	KRL-1479	सजनसिंह / कालूसिंह —करोली / करोली	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा-1 (अ) (ब) के अंतर्गत नाम शामिल करने बाबत।	अवेदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना नंबर 8 पर राशि रु. 11100 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 23836 का भुगतान किया गया।	---	ग्राम की आबादी भूमि डूब प्रभावित नहीं होने से ग्राम परिवार सूची नहीं बनाई गई।	
484	KRL-1426-1	भारतसिंह / पूनाजी —करोली / करोली	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड गणना नंबर 9 पर राशि रु. 1151 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 2432 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	
485	KRL-1641	प्रतापसिंह / छितु —करोली / करोली	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के नाम से कृषि भूमि अवार्ड गणना पत्रक क्रमांक-6 पर राशि रु. 5039 एवं विशेष पुनर्वास अनुदान राशि रु. 6731 का भुगतान किया गया।	---	वर्तमान में एनएचडीसी के पास जीविकास हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

486	SKT-1106	देवराम / करसन / सक्तापुर	अनुदान प्लॉट बाबत	आवेदक को अवार्ड बी.डब्ल्यू. एल. क्र० 73 पर मकान का मुआवजा 19877 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
487	SKT-1142	बापरीया / धन्नाजी / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू. एल.) क्र० 62 पर मकान का मुआवजा 28917 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
488	SKT-1141	सरदारसिंह / मांगीलाल / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू. एल.) क्र० 54 पर मकान का मुआवजा 45594 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
489	SKT-1140	हिम्मतसिंह / मांगीलाल / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू. एल.) क्र० 57 पर मकान का मुआवजा 15839 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

490	SKT-1139	कमलसिंह / नारायणसिंह / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड (बी.डब्ल्यू. एल.) क्र० 157 पर मकान का मुआवजा 8273 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
491	SKT-1138	मनोरमाबाई / आनंदसिंह / सक्तापुर	मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड बी.डब्ल्यू. एल. क्र० 58 पर कृषि भूमि का मुआवजा 46006 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
492	SKT-1137	जामबाई / नारायणसिंह / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक को अवार्ड क्र० 50 पर मकान का मुआवजा 39321 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
493	SKT-1108	रिंकु / बंडुजी / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदिका की मांता को अवार्ड क्र० 101 पर मकान का मुआवजा 17552 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

494	SKT-292	हेमन्त / कैलाशचंद्र —सक्तापुर / सक्तापुर	अनुदान राशि मिलने बाबत।	आवेदक के पिता कैलाशचंद्र के नाम से बी.डब्ल्यू.एल अवार्ड गणना नंबर 186 पर राशि रु. 39882 का भुगतान किया गया।	---	आवेदक डूब क्षेत्र का निवासी नहीं है अतः अनुदान एवं भूखंड की पात्रता नहीं बनती है।	
495	SKT-1107	कमलेश / गोपाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक की दादी को अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 101 पर मकान का मुआवजा 17552 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	
496	SKT-1109	सुरपाल / बंडु / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक की काता को अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 101 पर मकान का मुआवजा 17552 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 29476 दिनांक 27.02.09 के पालन में आवेदक को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दिया गया	आवेदक को पुनर्वास अनुदान दिया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
497	SKT-1110	कलाबाई / बंडुजी / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदिका को अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 101 पर मकान का मुआवजा 17552 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण प्रकरण क्र 29477 दिनांक 27.02.09 के पालन में पुनर्वास अनुदान 43700 रु० भुगतान किया गया।	आवेदिका को मुआवजा एवं पुनर्वास अनुदान दिया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

498	SKT-1111	राजेश / गोपाल / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक की दादी को अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 101 पर मकान का मुआवजा 17552 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	
499	SKT-1112	शंकर / बंडुजी / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक की माता को अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 101 पर मकान का मुआवजा 17552 रु० भुगतान किया गया।	जी.आर.ए. के आदेश क्र० 29478 दिनांक 27. 2.09 के पालन में पुनर्वास अनुदान 43700 रु० दिया गया।	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
500	SKT-1113	गोपाल / बंडु / सक्तापुर	मकान का मुआवजा/अनुदान एवं भूखंड प्रदाय बाबत	आवेदक की माता को अवार्ड बी.डब्ल्यू.एल. क्र० 101 पर मकान का मुआवजा 17552 रु० भुगतान किया गया। आवेदक को पुनर्वास अनुदान (बी.डब्ल्यू.एल.) क्र० 5 पर 34350 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को पात्रतानुसार पुनर्वास अनुदान दिया जा चुका है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
501	SKT-1105	रेखा / शोभाराम / सक्तापुर	अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 10 पर मकान का मुआवजा 20211 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत

502	GOL-77-1	सुशील कुमार / मगनशाह ग्राम गौल सैलानी / गौल सैलानी	अनुदान कम मिला एवं दुकान का मुआवजा कम मिला ।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक कृषि भूमि बीडब्ल्यूएल के क्रमांक 29 के अनुसार मुआवजा राशि 4957 का भुगतान किया गया है । आवेदक को पुन.अनु. गणना पत्रक 11 के अनुसार 67500 का भुगतान किया गया है ।	-----	आवेदन निरस्त	
-----	----------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	--

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

1	SKT-909	प्रेमलाल / जामसिंह / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अवार्ड क्र० 47 पर पिता को मकान का मुआवजा 25434 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
2	KLK-1238	भागवतीबाई / गिरवरसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 8 पर मुआवजा राशि 508347 रु० व वि०पु०अ० राशि 1538 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	
3	KLK-1572	किशनसिंह, बिसनसिंह, शोभागसिंह / जगमोहन-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 55 पर मुआवजा राशि 40392 रु० व वि०पु०अ० राशि 11414 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	
4	KLK-1246	संपतसिंह / अनारसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 30 पर मुआवजा राशि 12138 रु० व वि०पु०अ० राशि 685 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को जमीन का नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

5	KLK-1244	बख्तावरसिंह / बनवटसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत	आवेदक को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 26 पर मुआवजा राशि 110227 रु० व वि०पु०अ० राशि 9188 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है। आवेदक की कुल जमीन में से 40 प्रति० जमीन अधिग्रहित की गई है। शेष जमीन अधिग्रहण करने के प्रावधान नहीं है।	
6	KLK-1243	नरेन्द्रसिंह / मुकुटसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत	आवेदक के पिता को कृषि बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 27 पर मुआवजा राशि 4555 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	
7	KLK-1242	भीमसिंह / मेहतापसिंह-केलवाखुर्द / केवालखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत तथा अनुदान बाबत	आवेदिका कृषि बीडब्ल्यूएल अवार्ड क्र० 7 पर मुआवजा राशि 4806 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है। आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
8	SKT-8	देवराम / किशन / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बी.डब्ल्यू. एल. क्र० 73 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 19877 रु० भुगतान किया गया।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

9	KLK-1241	मथुराबाई / मेहतापसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत	आवेदिका को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 28 पर मुआवजा राशि 19535 रु० व वि०पु०अ० राशि 18215 रु० भुगतान की गई।	-	आवेदिका को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है। आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	
10	SKT-902	ईसराम / नन्नू / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	-	-	वर्तमान में 2.5 लाख रु० देने का प्रावधान नहीं है।	
11	KLK-1239	केशरबाई / मांगुसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत	आवेदिका को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 7 पर मुआवजा राशि 38692 रु० व वि०पु०अ० राशि 44343 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	
12	SKT-93	मांगत्या / नान्या / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बी.डब्ल्यू. एल. क्र० 90 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 14128 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

13	SKT-1892	बापुसिंह / तेजसिंह / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 108 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 3822 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
14	KLK-1218	निलाबाई / डाकोरसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 8 पर मुआवजा राशि 508347 रु० व वि०पु०अ० राशि 171515 भुगतान की गई।	-	आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	
15	KLK-1136	केशव / रामकृष्ण-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	घर का भूअर्जन करने बाबत	-	-	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से सम्बंधित।	
16	SKT-444	चम्पु / चामटा / सक्तापुर	जमीन डूब में आने के बाद बचे घर को अधिग्रहित करने बाबत	अवार्ड टापू क्र० 1 पर कृषि भूमि का मुआवजा 57050 रु० भुगतान किया गया।	-	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही अधिग्रहण की कार्यवाही की जाएगी।	
17	SKT-7-3	तुकाराम / सुक्या / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड संशोधित एफआरएल. क्र० 58 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 8951 रु० भुगतान किया गया।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

18	SKT-28	कलाबाई / उदिया / सक्तापुर	जमीन का मुआवजा देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बी. डब्ल्यू.एल. क्र० 26 पर कृषि भूमि का मुआवजा 308 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	
19	SKT-80	गायत्रीबाई / आशाराम / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदिका के पति को अवार्ड बीडब्ल्यू.एल. क्र० 104 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6376 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
20	SKT-910	हुकुम / जामसिंह / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अवार्ड क्र० 47 पर पिता को मकान का मुआवजा 25434 रु० भुगतान किया गया।	—	अनुदान नहीं दिया गया। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
21	KLK-1240	कैलाशसिंह / मेहतापसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत तथा अनुदान राशि मिलने बाबत	आवेदक को शामिल खाते में कृषि अवार्ड क्र० 28 पर मुआवजा राशि 19535 रु० व वि०पु०अ० राशि 18215 रु० भुगतान की गई।	—	आवेदक को नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है। आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

22	SKT-903	ग्यारसीया / नन्नु / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	पुनर्वास अनुदान गणना क्र० 8 पर 43700 रु० भुगतान किया गया।	—	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख देने का प्रावधान नहीं है।	
23	SKT-82	मीराबाई / कुंवरजी / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदिका को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 71 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 23997 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
24	SKT-89-3	रामप्यारी / बल्लु / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदिका को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 74 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 19877 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
25	SKT-79	पार्वतीबाई / भैयालाल / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 109 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 7125 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

26	SKT-71	शोभाराम / बावरा / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 10 पर कृषि भूमि व उस पर स्थित मकान का मुआवजा 20211 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
27	SKT-70	गुंदाबाई / उन्दु / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 93 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 11160 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
28	SKT-66-3	पतिराम / तोताराम / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 162 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 5685 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
29	SKT-65-3	पन्नालाल / नन्धु / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 106 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 2047 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

30	SKT-62	सावित्रीबाई / सुरजलाल / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड एफआरएल. क्र० 59 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6540 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
31	KLK-1490	कप्तानसिंह / कुंदनसिंह-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	भूमि का मुआवजा कम मिलने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 36 पर मुआवजा राशि 7418 रु० व वि०पु०अ० राशि 5117 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को जमीन का नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	
32	SKT-54	बापूसिंह / तेजसिंह / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बी. डब्ल्यूएल. क्र० 108 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 3822 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
33	KLK-1858	दिपिका / अशोक-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	घर का भूअर्जन करने बाबत	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से सम्बंधित।	
34	SKT-27	नत्थु / मनोहरसिंह / सक्तापुर	जमीन का मुआवजा देने बाबत	शामिल खाते में आवेदक को अवार्ड बी.डब्ल्यूएल. क्र० 18 पर कृषि भूमि का मुआवजा 2111 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

35	SKT-220	महेश / कैलाश / सक्तापुर	मेरे छोटे मकान को सर्वे में शामिल करने बाबत	पिता को मकान का मुआवजा 6640 दी जा चुकी है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27375 आदेश दिनांक 1. 06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
36	SKT-26	साबल्या वगैरा / शिवा / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड एफआरएल. क्र० 53 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 5040 रु० भुगतान किया गया।	—	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
37	SKT-86-3	मिसरबाई / सीताराम / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदिका के पति को अवार्ड एफआरएल. क्र० 52 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 7809 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
38	KLK-1607	बसंत कुमार / रामलाल-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा नहीं मिलने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड बीडब्ल्यूएल क्र० 1 पर मुआवजा राशि 207 रु० व वि०पु०अ० राशि 236 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को जमीन का नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	
39	KLK-1599-3	कृष्णचंद / रतनलाल-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	मुआवजा राशि बढ़ाने बाबत	आवेदक को कृषि अवार्ड क्र० 22 पर मुआवजा राशि 56279 रु० व वि०पु०अ० राशि 80602 रु० भुगतान की गई।		आवेदक को जमीन का नियमानुसार उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

40	SKT-88-3	रमेश / सीताराम / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	गणना क्र० 6 पर आवेदक को पुनर्वास अनुदान 93000 रु० भुगतान किया गया है।	—	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
41	SKT-907	ध्यानसिंह / जामसिंह / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अवार्ड क्र० 47 पर पिता को मकान का मुआवजा 25434 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
42	SKT-57	मोहनलाल / रामरतन / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बी. डब्ल्यूएल. क्र० 191 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 4349 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
43	SKT-42	अनुसूईयाबाई / दगडु / सक्तापुर	प्लाट दिये जाने बाबत	जी०आर०ए० के प्रकरण क्र० 28673 दिनांक 23.03.09 के पालन में कंडिका 6.1 की राशि 18700 रु० भुगतान की गई।		जी०आर०ए० के आदेश के पालन में आवेदक को कंडिका 6.1 की राशि दी गई भूखंड की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

44	KLK-879	शंकर / रामलाल-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	घर का भूअर्जन करने बाबत	-	-	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से सम्बंधित ।	
45	SKT-1893	उषाबाई / जसमत / सक्तापुर	घर का मुआवजा 25,000 रु० से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत	आवेदक को अवार्ड बीडब्ल्यूएल. क्र० 102 पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6228 रु० भुगतान किया गया ।	-	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास न होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः कंडिका 7.2 की राशि नहीं दी जा सकती।	
46	SKT-1369	जसवंत / ननया / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविकस हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	अवार्ड क्र० 92 पर मकान का मुआवजा 13816 रु० भुगतान किया गया ।	-	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु० देने का कोई प्रावधान नहीं है।	
47	KLK-878	गोकुल / फत्तु-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	घर का भूअर्जन करने बाबत	-	-	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से सम्बंधित ।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

48	SKT-1606	प्रतापसिंह / सागरसिंह / सक्तापुर	जमीन के बदले जमीन	आवेदक को अवार्ड क्र० 98 पर कृषि भूमि का मुआवजा 330844 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश क्र० 28651 दिनांक 20.3.09 के पालन में कंडिका 6.1 की राशि 18700 रु० का भुगतान किया जा चुका है।		जमीन के बदले जमीन की कार्यवाही प्रचलित है।	
49	SKT-31	उमेदसिंह / ईश्वरसिंह / सक्तापुर	प्लॉट दिये जाने बाबत	शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र 29443 दिनांक 12.03.09 के पालन में आवेदक को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० भुगतान किया गया।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश का पालन किया गया।	आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20000 रु० भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	
50	SKT-33	कैलाशसिंह / ईश्वरसिंह / सक्तापुर	प्लॉट दिये जाने बाबत	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 29431 दिनांक 12.03.09 के पालन में आवेदक को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० भुगतान किया गया	—	आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20000 रु० भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	
51	SKT-1125	बनारसीबाई / बनवारी / सक्तापुर	मेरे घर का भूअर्जन करने एवं अनुदान देने बाबत	अवार्ड क्र० 211 पर मकान का मुआवजा 9197 रु० भुगतान किया गया है।	—	आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास व मकान नहीं होने से पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

52	SKT-7	बसुबाई / बाबू / सक्तापुर	शामिल खाते की भूमि ग्राम सक्तापुर के डूब में आने पर आवेदिका का नाम छूट जाने बाबत	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.सं. क्र. -32 बड़वाह के भूअर्जन प्रस्ताव में बसुबाई पिता बाबू का नाम शामिल न होने से। आवेदन निरस्ती योग्य	
53	KLK-880	गिरवरसिंग / अनारसिंग-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	घर का भूअर्जन करने बाबत	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से सम्बंधित।	
54	SKT-59	मिसरबाई / सीताराम / सक्तापुर	प्लॉट दिये जाने बाबत	—		आवेदक का धारा-4 के 1 वर्ष पूर्व से डूब क्षेत्र में निवास नहीं होने से पुनर्वास अनुदान की पात्रता नहीं है। अतः भूखंड नहीं दिया जा सकता।	
55	SKT-61	गणेश / छगन / सक्तापुर	प्लॉट दिये जाने बाबत	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 21048 दिनांक 27.02.09 के पालन में आवेदक को पुनर्वास अनुदान 93000 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20000 रु० भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

56	SKT-75	राधेश्याम / रतन / सक्तापुर	कंडिका 7.1 के तहत प्लॉट दिये जाने बाबत।	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 28681 दिनांक 18.03.09 के पालन में आवेदक को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० भुगतान किया गया।	—	आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20000 रु० भुगतान की जा चुकी है। अब प्लॉट की पात्रता नहीं आती है।	
57	SKT-216-3	सीलदार / गंगाराम / सक्तापुर	मेरे छोटे मकान को सर्वे में शामिल करने बाबत	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27397 आदेश दिनांक 1.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
58	SKT-217	राकेश / कैलाश / सक्तापुर	मेरे छोटे मकान को अवार्ड में शामिल कर मुआवजा प्रदान करने बाबत	मकान का मुआवजा क्र. 46 पर पिता कैलाश पिता करसन को दिया जा चुका है।	—	आवेदन निरस्त योग्य है।	
59	SKT-226	रणछोड / जोगड़िया / सक्तापुर	शिकायत निवारण प्राधिकरण भोपाल द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने के सम्बंध में	—	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27413 आदेश दिनांक 15.05.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
60	SKT-225	प्रकाश / जोगड़िया / सक्तापुर	मेरे छोटे मकान को सर्वे में शामिल करने बाबत	मकान का मुआवजा पिता जोगड़िया पिता धन्या के नाम 9423 रु० दिया जा चुका है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27414 आदेश दिनांक 1.06.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

61	SKT-222-3	काशीराम / जोगड़िया / सक्तापुर	मेरे मकान अर्वाड में शामिल कर मुआवजा प्रदान करने विषयक	मकान का मुआवजा पिता जोगड़िया धन्या के नाम क्र० 47 पर 9423 रु० दिया जा चुका है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र० 27415 आदेश दिनांक 15.05.09 से आवेदक की मांग अमान्य की जा चुकी है।	आवेदन निरस्त योग्य है।	
62	SKT-35	रतन / किशन / सक्तापुर	प्लाट दिये जाने बाबत	शिकायत निवारण प्राधिकरण के प्रकरण क्र 28680 दिनांक 18.03.09 के पालन में आवेदक को पुनर्वास अनुदान 43700 रु० भुगतान किया गया।		आवेदक को भूखंड के बदले नगद राशि 20000 रु० भुगतान की जा चुकी है। अब प्लाट की पात्रता नहीं आती है।	
63	SKT-1594	मीराबाई / बाबूलाल / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को अर्वाड क्र० 201 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6408 रु० भुगतान किया गया।		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
64	SKT-1591	पप्पू / बाबूलाल / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को अर्वाड क्र० 201 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6408 रु० भुगतान किया गया।	—	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।	
65	SKT-1286	चंपालाल / चामटा / सक्तापुर	भूअर्जन की मिस्टेक से मकान भाई के नाम कर दिया	अर्वाड क्र० 4 पर मकान कच्चे का मुआवजा 11230 रु० श्यामु पिता चामटा को दिया गया है।	—	भूअर्जन प्रस्ताव श्यामु पिता चामटा के नाम से प्राप्त हुआ है। आवेदक का कथन गलत है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

66	SKT-452	कृष्णाबाई / मिश्रीलाल / सक्तापुर	2.5 लाख रू० का विशेष अनुदान	मुआवजा 9157 रू० दिया गया।	—	वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
67	SKT-1592	सुगनाबाई / बाबुलाल / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 201 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6408 रू० भुगतान किया गया।	—	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
68	SKT-1593	बाबूलाल / काशीराम / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को अवार्ड क्र० 201 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6408 रू० भुगतान किया गया।	—	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
69	KLK-881	नानू / रामलाल-केलवाखुर्द / केलवाखुर्द	घर का भूअर्जन करने बाबत	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से सम्बंधित।	
70	SKT-1599	पहाडसिंह / करणसिंह / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक के पिता को अवार्ड क्र० 149 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 22767 रू० भुगतान किया गया।	—	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रू. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

71	SKT-1823	चम्पालाल / रूखडु / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को अर्वाड क्र० 160 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 46142 रु० भुगतान किया गया।	—	वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
72	SKT-1637	रूपसिंह / आनंदराम / सक्तापुर	2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत, मुआवजा व परिवार सूची में नाम शामिल करने बाबत	आवेदक के पिता को अर्वाड क्र० 174 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6189 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश के पालन में पुनर्वास अनुदान क्र० 13 पर 93000 रु० भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० के आदेश का पालन किया गया।	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
73	SKT-1638	रमेश / नथु / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत।	आवेदक को अर्वाड क्र० 202 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 6734 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश के पालन में पुनर्वास अनुदान क्र० 5 पर 93,000 रु० भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० के आदेश का पालन किया गया।	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 8 डूब प्रभावित व्यक्ति द्वारा अन्य कोई मांग

74	SKT-1820	छजजुलाल / चुन्नीलाल / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	आवेदक को अर्वाड क्र० 159 (बी.डब्ल्यू.एल) पर कृषि भूमि पर स्थित मकान का मुआवजा 48131 रु० भुगतान किया गया। जी०आर०ए० के आदेश के पालन में 43700 रु० पुनर्वास अनुदान भुगतान किया गया।	जी०आर०ए० का पालन किया गया।	आवेदक को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा भुगतान किया गया है, एवं पुनर्वास अनुदान का भी लाभ दिया गया है। वर्तमान में 2.5 लाख रु० का विशेष पैकेज देने का प्रावधान नहीं है। आवेदन निरस्त योग्य है।	
75	SKT-1627	कुलदीप / अमानसिंह-सक्तापुर / सक्तापुर	भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने बाबत्।	-		वर्तमान में भूमिहीन परिवार के रूप में जीविका हेतु 2.5 लाख रु. का विशेष अनुदान दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	
76	GOL-174	नरेन्द्रसिंह / शोभागसिंह / गोल सैलानी	जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।			आवेदक के पिता के नाम से संयुक्त खाते में कृषि अर्वाड गणना क्रमांक 55 पर मुआवजा राशि 40392रु० का भुगतान किया गया है।	
77	GOL-163	शेरसिंह / मांगीलाल / गोल सैलानी	25 प्रतिशत जमीन डूब में लेने बाबत्।			स्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	

ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा
डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा
उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ग्राम का नाम : अन्य ग्राम आवेदन पत्र का प्रकार : 9 अन्य

1	GOL-149	टीकाराम / रामू / गोलसैलानी	पुनर्वास नीति की धारा 23 के अंतर्गत टापू में आने बाबत्।	ओवदक के नाम से कृषि अवार्ड गणना क्र. 77 पर मुआवजा राशि 17010रु० का भुगतान किया गया। आवेदक को विशेष पुनर्वास अनुदान की राशि 41464रु० का भुगतान किया गया है।	—	आवेदक के नाम से ग्राम में मकान का अर्जन नहीं किया गया है तथा ग्राम का आंशिक अर्जन किया गया है। अतः टापू बनने की संभावना नहीं बनेगी।	
2	GOL-188	दुगंश्वरी / हरिओम—गोलसेलानी / गोलसेलानी	कुटीया एवं वृक्षों का मुआवजा मिलने बाबत्	—	—	प्रस्तावक विभाग कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—32 बड़वाह से आवेदक के नाम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
3	GOL-187	मायाबाई / बसंत कुमार—गोलसेलानी / गोलसेलानी	उचित मुआवजा मिलने बाबत्	आवेदिका को गणना क्र 106 में मुआवजा राशि 106565 रु० का भुगतान किया गया।	—	आवेदिका का नाम ग्राम के अंतिम परिवार सूची में दर्ज नहीं है तथा आवेदिका को दिया गया मुआवजा पर्याप्त उचित है।	